भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	तारांकित प्रश्न सं. 4
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र

***4. श्री कौशलेन्द्र कुमारः**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) के अंतर्गत चयनित क्षेत्रों के राज्य-वार नाम क्या हैं और उक्त क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए बिहार में विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों की पहचान करने के पश्चात् उनका विकास करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत पाँच वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी नियमों के अंतर्गत विकसित किए गए क्षेत्रों से सरकार द्वारा वर्ष-वार कितना राजस्व अर्जित किया जा रहा है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में दिनांक 02 फरवरी,2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 4 के भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

*****

(क): विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया हैं। इन एसईजेड के स्थानों का विवरण www.sezindia.nic.in पर उपलब्ध है ।

(ख) से (घ): एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के बाद केंद्र सरकार ने देश में कोई एसईजेड स्थापित नहीं किया है। एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित पहल है। वाणिज्य विभाग को आज तक बिहार में एसईजेड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड.): पिछले पांच वर्षों के दौरान एसईजेड से सरकार को वर्ष-वार प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री लेनदेन के लिए शुल्क से वर्ष-वार राजस्व	
वर्ष	भुगतान की गई शुल्क राशि (करोड़ रुपए)
2016-17	5,529
2017-18	18,097
2018-19	26,853
2019-20	20,848
2020-21	26,911

*****

दिनांक 02 फरवरी, 2022 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 4 का अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार अनुमोदित एसईजेड का वितरण (27.01.2022 की स्थिति के अनुसार)						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित केंद्र सरकार के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड	एसईजेडएस अधिनियम, 2005 के तहत दी गई औपचारिक स्वीकृति	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेडएस	कुल अधिसूचित एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत)	कुल प्रचालनरत एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत)
	-1-	-2-	-3-	-4-	(1+2+4)	-6-
आंध्र प्रदेश	1	0	33	27	28	24
चंडीगढ़	0	0	2	2	2	2
छत्तीसगढ	0	0	2	1	1	1
दिल्ली	0	0	2	0	0	0
गोवा	0	0	7	3	3	0
गुजरात	1	2	26	22	25	21
हरियाणा	0	0	25	22	22	7
झारखंड	0	0	2	2	2	0
कर्नाटक	0	0	61	50	50	34
केरल	1	0	28	24	25	20
मध्य प्रदेश	0	1	12	7	8	5
महाराष्ट्र	1	0	51	45	46	37
मणिपुर	0	0	1	1	1	0
नागालैंड	0	0	2	2	2	0
उड़ीसा	0	0	7	5	5	5
पुदुचेरी	0	0	1	0	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3	3
राजस्थान	0	2	5	4	6	3
सिक्किम	0	0	1	0	0	0
तमिलनाडु	1	4	56	53	58	50
तेलंगाना	0	0	64	57	57	35
त्रिपुरा	0	0	1	1	1	0
उत्तर प्रदेश	1	1	24	21	23	14
पश्चिम बंगाल	1	2	7	5	8	7
कुल योग	7	12	425	357	376	268

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.9

<u>दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चीन से आयात/निर्यात

***9. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत सात वर्षों के दौरान चीन से होने वाले आयात में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या गत सात वर्षों के दौरान चीन को किए जाने वाले निर्यात में गिरावट आई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

'चीन से आयात/निर्यात' के संबंध में दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ख): वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021 -22 तक चीन से भारत के आयात का व्यापार आंकड़ा निम्नानुसार है:

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (नवंबर,21 तक)
आयात	60.41	61.71	61.28	76.38	70.32	65.26	65.21	59.03

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

चीन से आयात 2014-15 में 60.41 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 65.21 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो वर्ष 2014-15 में 7.94% की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, आयात वर्ष 2019-20 और 2020-21 के बीच स्थिर था। वर्ष 2014-15 से पहले 7 वर्षों में, चीन से आयात वर्ष 2006-07 में 17.47 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 51.03 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 192% की वृद्धि को दर्शाता है। चीन से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं दूरसंचार उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरीफेरल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक घटक/उपकरण, परियोजना के सामान, कार्बनिक रसायन, दवा इंटरमीडिएट्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मशीनरी आदि जैसे उत्पाद हैं। चीन से हमारे कुछ आयात जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और दवा सूत्रीकरण भारतीय फार्मा उद्योग को तैयार माल के उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं जो भारत से बाहर भी निर्यात किए जाते हैं।

(ग) से (घ): वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक चीन को भारत के निर्यात का व्यापार आंकडा निम्नानुसार है:

(मूल्य बिलियन *अमरीकी डॉलर में)*

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (नवंबर,21 तक)**
निर्यात	11.93	9.01	10.17	13.33	16.75	16.61	21.19	15.62

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

चीन को भारत का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। चीन को निर्यात वर्ष 2014-15 में 11.93 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 21.19 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2014-15 से 77.6% की वृद्धि दर्शाता है। निर्यात में वृद्धि प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूती धागे, समुद्री उत्पाद, खनिज और अयस्क आदि शामिल हैं । भारत सरकार ने चीन के साथ अधिक संतुलित व्यापार प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिनमें चीन के साथ व्यापार मुद्दों का समाधान करने के लिए द्विपक्षीय भागीदारी शामिल है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.10

<u>दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना

***10. श्रीमती चिंता अनुराधा:**
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) की स्थिति क्या है एवं इसमें कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में संस्वीकृत परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

"निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम "के संबंध में दिनांक 02 फरवरी 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 10 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण"

(क) वाणिज्य विभाग,भारत सरकार निर्यात के विकास के लिए उचित अवसरंचना के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2017-18 से 'निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)' नामक एक स्कीम लागू कर रही है। इस स्कीम के तहत, निर्यात अवसरंचना की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के दिशा-निर्देश https://commerce.gov.in/trade-promotion/trade-promotion-assistance/ पर उपलब्ध हैं ।

इस स्कीम को 360 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। लगभग 548 करोड़ रूपए के अनुदान घटक वाली कुल 51 परियोजनाओं को जनवरी, 2022 के अंत तक टीआईईएस के तहत स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं में से, 13 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो गई हैं।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है ।

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	कुल टीआईईएस अनुदान अनुमोदित	कुल टीआईईएस अनुदान जारी	स्थिति
1.	निर्यात निरीक्षण परिषद	विशाखापत्तनम में निर्यात निरीक्षण एजेंसी के कार्यालय सह प्रयोगशाला परिसर का निर्माण	16.52	8.15	4.15	कार्यान्वयन के अधीन
2.	आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन(एएमटीजेड) लिमिटेड, मदगुरवाडा	एएमटीजेड में इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी (ईएमआई/ईएमसी)और	168.87	40	40	पूरी हो गई

	विशाखापत्तनम	इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टेस्टिंग फैसिलिटी , बायोमैटिरियल्स टेस्टिंग फैसिलिटी,3डी डिजाइन और रैपिड प्रोटोटाइप फैसिलिटी और सेंटर फॉर गामा इरेडिएशन				
3.	आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन(एएमटीजेड) लिमिटेड, मदगुरवाडा विशाखापत्तनम	डिजाइन निर्माण और विनिर्माण टेक्नेटियम 99एम जेनरेटर (मेडिकल रेडियो-आईसोटोप), विशाखापत्तनम	28	14	7	कार्यान्वयन के अधीन
4.	आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन(एएमटीजेड) लिमिटेड , मदगुरवाड़ा , विशाखापत्तनम	हेमोडायलिसिस , विशाखापत्तनम के लिए होलो फाइबर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रूशन केंद्र की स्थापना	24	12	6	कार्यान्वयन के अधीन

****

भारत सरकार   लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय   तारांकित प्रश्न सं. *11
(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 2 फरवरी, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीति

*11. श्री अजय निषाद :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से संबंधित वर्तमान नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) क्या उक्त नीति में ऐसी खामियों का पता चला है जिनसे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है;
(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी नीति की समीक्षा की गई है और उक्त नीति से संबंधित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं में कोई संशोधन किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड़): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

एसइजेड नीति के संबंध में 2 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 11 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

*****

(क): विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल, 2000 में मौजूद विदेश व्यापार नीति, 2000-05 (एफ़टीपी 2000-05) के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, को मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। एसईजेड नियम, 2006, 10 फरवरी, 2006 को लागू हुआ। एसईजेड अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(i) एसईजेड में अधिकृत संचालन के उद्देश्य से एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त एन्क्लेव को भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर एक क्षेत्र के रूप में माना जायेगा;

(ii) एसईजेड में आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है;

(iii) अनुमोदन बोर्ड (बीओए) और यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) के स्तर पर एकल खिड़की मंजूरी;

(iv) एसईजेड इकाइयों को सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) प्राप्त करना आवश्यक है जिसकी उत्पादन शुरू होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचयी रूप से गणना की जायेगी;

(v) एसईजेड इकाइयों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत यथा अनुप्रयोज्य पाटन -रोधी, प्रतिकारी और सुरक्षा शुल्क सहित सीमा शुल्क, जिसे आयात किए जाने पर ऐसी वस्तुओं पर लगाया जा सकता है, के भुगतान पर दी जाती है।

(vi) निर्यात/आयात कार्गो की सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कोई नियमित जांच नहीं;

(vii)त्वरित निकासी के लिए समर्पित सीमा शुल्क विंग।

(viii) एसईजेड डेवलपर्स / सह-डेवलपर्स और इकाइयों को एसईजेड अधिनियम, 2005 में यथा निर्धारित प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर लाभ प्राप्त होते हैं।

(ख) और (ग): जी नहीं।

(घ) और (ङ): एसईजेड नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और एसईजेड की नीति और परिचालन रूपरेखा पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट/सुझावों के आधार पर, सरकार, एसईजेड अधिनियम/नियमों के सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवधिक रूप से आवश्यक उपाय करती है। । पिछले तीन वर्षों के दौरान एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 में किए गए संशोधन **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

2 फरवरी, 2022 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 11 का अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 में किए गए संशोधन:

1. एसईजेड अधिनियम, 2005 में किए गए संशोधन:

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्टों और किसी अन्य इकाई को इकाई स्थापित करने के लिए समर्थ बनाने के लिए 8 जुलाई, 2019 को संशोधन किया गया, धारा 2 (v) में व्यक्तियों की परिभाषा को विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इस विधेयक पर 06.07.2019 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

2. एसइजेड नियम, 2006 में किए गए संशोधन:

(क) **31 जनवरी, 2019 को किया गया संशोधन:-**

एसइजेड के नियम 42(1)(ii)(ज) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि रत्न और आभूषण इकाई, जड़ित स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण और नकली आभूषण के मामले में , अतिरिक्त प्रसंस्करण की जाने वाली तैयार वस्तुओं या अर्ध तैयार वस्तुओं को इकाई द्वारा उप-अनुबंध के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर ले जाने पर पैंतालीस दिनों के अंदर इकाई में वापस लाया जायेगा।

(ख) 7 मार्च 2019 को किया गया संशोधन

19 सितंबर, 2018 को किए गए संशोधन की पृष्ठभूमि में, एसईजेड नियमों में आगे संशोधन करने के लिए हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए थे और तदनुसार, एसईजेड में इकाइयों के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) की गणना के तरीके के संबंध में नियम 53 में संशोधन सहित संशोधन किए गए थे।

(ग) 17 दिसंबर, 2019 को किया गया संशोधन:

एसईजेड में रिक्त स्थान के उपयोग के लिए, क्षेत्र विशिष्ट और बहु क्षेत्र की आवश्यकता के बीच भेद को दूर करने के लिए दिनांक 17 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना जी.एस.आर. 940 (ई) द्वारा संशोधन किया गया ताकि निर्यात में अधिक निवेश और वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके।

(घ) 31 दिसंबर, 2019 को किया गया संशोधन:

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई के लिए उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना को सुकर बनाने के लिए नियम 53क शामिल किया गया है।

(ड़) 23 अक्टूबर, 2020 को किया गया संशोधन:

एसइजेड के नियम 24 (3) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया है:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति के मामले में, ड्रॉबैक या कोई अन्य समान लाभ स्कीम स्वीकार्य होगी जहां विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है जो उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (5) के अध्यधीन है।

(च) 16 जून, 2021 को किया गया संशोधन:

एसईजेड के नियम 21 के बाद निम्नलिखित नियम शामिल किए गए हैं, अर्थात्: -

21क. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बहुपक्षीय या एकपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इकाई की स्थापना:-

(1) संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय एजेंसी या एकपक्षीय एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को एक इकाई के रूप में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपना स्थानीय या क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। .

(2) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ऐसी इकाई की स्थापना और संचालन के लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड के समक्ष किया जाएगा।

(3) ऐसी इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए नियम और शर्तें विकास आयुक्त की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(4) इन नियमों के तहत कुछ भी अन्तर्निहित होने के बावजूद, अनुमोदन बोर्ड पर विकास आयुक्त की सिफारिश के आधार पर ऐसी इकाइयों को सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय या वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट दाखिल करने या ऐसी अन्य छूट से संबंधित प्रावधान सहित इन नियमों के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है।

(5) ऐसी इकाइयों के अनुमोदन पत्र के विस्तार के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 13

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात केन्द्रों की पहचान

13. श्री बृजभूषण शरण सिंहः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री केसिनेनी श्रीनिवासः
श्री पी.पी. चौधरीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिलों को निर्यात केंद्र बनाने की योजना के अंतर्गत राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कितने निर्यात–केन्द्रों की पहचान की गई है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्यों के प्रत्येक ऐसे जिले के प्रमुख पांच उत्पादों के निर्यात का जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्यों में इस योजना के तहत चिन्हित उत्पादों और वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त राज्यों से इस योजना के तहत जिला–वार व उत्पाद–वार कितने मूल्य की सामग्री का निर्यात किया गया है;

(ड.) क्या सरकार आंध्र प्रदेश के पारंपरिक कोंडापल्ली और एटिकोप्पा खिलौनों, ओडिशा के बालासौर के चावल व उससे निर्मित उत्पादों, राजस्थान के पाली के मेंहदी निर्मित उत्पादों, (हिना आधारित उत्पाद) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आंवले और आंवला–निर्मित उत्पादों तथा गोंडा–बहराइच से दालों और गन्ने के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ग)ः निर्यात हब के रुप में जिला पहल में भारत के सभी जिले शामिल हैं। इस पहल के तहत राजस्थान के सभी 33 जिलों, ओडिशा के 30 जिलों, उत्तरप्रदेश के 75 जिलों और आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में संबंधित जिलों द्वारा यथा अभिज्ञात उत्पादों/सेवाओं की सूची **अनुलग्नक–I**

पर दी गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त इन्पुट्स के आधार पर सूची को नियमित रुप से अद्यतित किया जाता है।

(ख) एवं (घ): वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान राजस्थान, उत्तरप्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जिलों से प्रधान वस्तु समूह के तहत शीर्ष 5 मदों के निर्यात आंकड़े **अनुलग्नक–II** पर दिए गए हैं।

(ङ.) एवं (च): कृष्णा जिला (आंध्र प्रदेश), विशाखापट्टनम जिला (आंध्र प्रदेश), पाली जिला (राजस्थान) प्रतापगढ़ जिला (उत्तर प्रदेश), गोंडा जिला (उत्तर प्रदेश) में निर्यात हब के रुप में जिला पहल के तहत निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के रुप में क्रमशः कोडापल्ली खिलौनों, एटिकोअप्पा खिलौनों, मेहंदी, अमला उत्पादों और दलहन की पहचान की गई है। देश के सभी जिलों के उत्पादों और सेवाओं की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों सहित संबंधित स्टेकहोल्डरों द्वारा प्रदान किए गए इन्पुट्स क आधार पर की गई है। स्कीमों के कन्वर्जेंस के द्वारा क्षमता निर्माण, उत्पाद विकास और बाजार विकास के संयोजन के माध्यम से जिलों के इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास एक सतत कार्य है।

******

अनुलग्नक–I

चिन्हित उत्पादों और सेवाओं की जिलावार सूची

क्रमांक	राज्य	जिलों के नाम	निर्यात क्षमता के साथ पहचाने गए उत्पाद/सेवाएं
1.	**आंध्र प्रदेश**	अनंतपुर	रेडीमेड गारमेंट्स (जीन्स, टी–शर्ट, ट्राउजर आदि), एमएस स्टील ट्यूब (एमएस पाइप, जीआई पाइप आदि), ऑटोमोबाइल (कार, इंजन आदि), केला, अनार, आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली, धर्मवरम हैंडलूम पट्टू साड़ी और पावदास
2.		चित्तूर	पॉलिश ग्रेनाइट और ग्रेनाइट स्मारक, कपड़ा और वस्त्र, आम और फलों का गूदा, आम, श्रीकालहस्ती कलमकारी, तिरुपति लड्डू
3.		पूर्वी गोदावरी	कॉयर और कॉयर उत्पाद, चावल, चीनी, जमे हुए श्रिम्प, कॉयर फाइबर और कॉयर पीठ, उप्पदा जामदानी साड़ी
4.		गुंटूर	तंबाकू, सूती धागे, मिर्च, हल्दी, कपड़ा, गुंटूर सन्नम मिर्च
5.		कृष्णा	सूती धागे, चादरें, ग्रे कपड़ा, बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट, प्रसंस्कृत झींगा, मोटिव पॉवर बैटरी, हर्बल उत्पाद, मछली और मछली उत्पाद, आम, कोंडापल्ली खिलौने, प्रसस्कृत श्रिम्प, ऑटो बैटरी
6.		कुरनूल	हाइड्रोजनीकृत अरंडी का तेल, हाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड, कास्टिक सोडा फ्लेक्स, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड फ्लेक्स, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, अनार, आम
7.		प्रकाशम	ग्रेनाइट (ब्लॉक गैलेक्सी, स्टील ग्रे, ब्लॉक पर्ल), एक्वा उत्पाद, काजू उत्पाद
8.		एसपीएसआर नेल्लोर	उदयगिरी लकड़ी की कटलरी, क्वाट्र्ज, फेल्डस्पार, प्रसंस्कृत झींगा/श्रिम्प, चावल
9.		श्रीकाकुलम	काजू गिरी, ग्रेनाइट, फार्मा उत्पाद
10.		विजयनगरम	बल्क ड्रग्स और इन्टर्मीडीएरीज, काजू प्रसंस्करण, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, क्वाट्र्ज ग्रिट्स और सिलिका पाउडर, बॉबबिली वीना
11.		विशाखापत्तनम	नारियल आधारित उत्पाद, मिश्र धातु के पहिये, काजू, काली मिर्च, समुद्री खाद्य पदार्थ, हल्दी, शहद, हस्तशिल्प जैसे एटिकोपक्का खिलौने, खनिज और खनिज आधारित उत्पाद (एपेटाइट, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, क्वाट्र्ज, वर्मीक्यूलाइट, सफेद मिट्टी, रूबी, मीका, कैल्साइट, लाल) और पीला गेरू), सिल्वर ओक की लकड़ी, अराकू कॉफी, अदरक का पाउडर, एटिकोप्पाका खिलौने, बल्क ड्रग एवं फार्मा, समुद्री उत्पाद, कॉयर उत्पाद
12.		पश्चिम गोदावरी	कपास यार्न, प्रसंस्कृत झींगे/श्रिम्प, एक्वा फ़ीड, मानव बाल, एस्पिरिन, सिरेमिक, सेनेटरीवेयर उत्पाद, काजू, कॉयर पिथ, कॉफी, क्रोशिया लेस फीता उत्पाद
13.		वाईएसआर कडपा (कुडप्पाह)	बेरियम क्लोराइड, पोर्टलैंड सीमेंट, केला
14.	**ओडिशा**	अंगुल	एल्यूमिनियम पिंड, स्टील सिल्लियां
15.		बालंगीर	चावल, आयरन एवं स्टील
16.		बालासोर	टायरु कागज और नालीदार बक्से, समुद्री उत्पाद, पत्थर का शिल्प

17.		बारगढ़	वस्त्र, हथकरघा
18.		भद्रक	परिधान
19.		बौध	वस्त्र, हथकरधा
20.		कटक	रासायनिक और पैट्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन, चांदी के तंतु का सामान
21.		देवगढ़	तरबूज, संतरा, लीची
22.		ढेंकनाल	पॉवरलूम, टोकरा, मेटलक्राफ्ट
23.		गजपति	चावल, परलाखेमुंडी का सींगो का कार्य
24.		गंजम	चावल, पॉवरलूम, गंजम केवड़ा रूह, गंजम केवड़ा फूल
25.		जाजपुर	समुद्री उत्पाद
26.		जगतसिंहपुर	प्लास्टिक उत्पाद
27.		झारसुगुड़ा	एल्यूमिनियम उत्पाद, मिर्च, अदरक
28.		कालाहांडी	चावल, रत्न, एल्युमीनियम लकड़ी पर नक्काशी
29.		कंधमाल	अदरक, कंधमाल हल्दी
30.		केंद्रपाड़ा	पर्यटन
31.		केन्डूझार	तसर साड़ी, वस्त्र, हथकरघा
32.		खोरधा (भुवनेश्वर)	समुद्री उत्पाद
33.		कोरापुट	कोटपाड़ हथकरघा कपड़ा, काजू
34.		मल्कानगिरी	हस्तशिल्प
35.		मयूरभंज	लोहा, कागज, पेपर बोर्ड
36.		नबरंग पुर	एग्रो, कागज, कागज उत्पाद
37.		नयागढ़	चीनी
38.		नुआपाड़ा	खाद्य, कैमिकल एवं खाद्य उत्पाद
39.		पुरी (पिपिली)	पिपली अप्लीक वर्क, स्टोनक्रॉफ्ट हैंडीक्राफ्ट, पर्यटन
40.		रायगड	कागज, चार्ज क्रोम, कैल्सियम कारबोनेट
41.		संबलपुर	चावल, मेटलक्राफ्ट, संबलपुरी बंध साड़ी और कपड़े
42.		सुबर्णापुर	टैक्सटाईल, हैण्डलूम
43.		सुंदरगढ़ (राउरकेला)	रिफ्रेक्टरी , स्पांज आयरन, स्टील, सीमेंट
44.	**राजस्थान**	अजमेर	बैग, मसाले, वस्त्र, संगमरमर और कृषि उत्पाद
45.		अलवेर	इंजीनियरिंग उत्पाद
46.		बांसवाड़ा	सिंथेटिक यार्न, फैब्रिक, मार्बल टाइलें
47.		बारन	सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद
48.		बाड़मेर	इसबगोल, ग्वार गम
49.		भरतपुर	कृषि उत्पाद और सेवा निर्यात
50.		भीलवाड़ा	कपड़ा और डेनिम
51.		बीकानेर	ऊन, खाद्य उत्पाद, क्रिमिक्स, बीकानेरी भुजिया
52.		बूंदी	चावल
53.		चित्तौड़गढ़	संगमरमर, ग्रेनाइट और पर्यटन
54.		चुरू	ग्वार गम, लकड़ी के उत्पाद
55.		दौसा	पत्थर के लेख और दरी
56.		धौलपुर	स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन टाइलें और स्लैब
57.		ड्गरपुर	ग्रीन मार्बल स्लैब और टाइलें
58.		हनुमानगढ़	पर्यटन
59.		जयपुर	रत्न और आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर, सेवा निर्यात और अन्य,

			खिलौने, जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन
60.		जैसलमेर	अप्लीक वर्क, मार्बेल एंड सर्विसेज, इसबगोल, गौर गम, हैंडीक्राफ्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स
61.		जालौर	मसाले, ग्रेनाइट और डेयरी उत्पाद
62.		झालावाड	सैंड स्टोन, मिश्रित आइटम
63.		झुंझुनूं	लकड़ी और पत्थर आधारित आइटम
64.		जोधपुर	इसबगोल, गौर गम, फर्नीचर उत्पाद, पाउडर, हस्तशिल्प, स्टेनलेस स्टील शीट / बर्तन
65.		करौली	सैंड स्टोन वस्तुएं, सिलिका और पाउडर
66.		कोटा	रसायन और उर्वरक, खनिज, कोटा डोरिया
67.		नागौर	इसबगोल, मसाला प्रसंस्करण, हैंडटूल और ऊनी कालीन, मकराना मार्बल
68.		पाली	सीमेंट, मेहंदी, ग्वार गम
69.		प्रतापगढ़	पर्यटन
70.		राजसमंद	तेरा कोटा, संगमरमर का सजावटी वस्तु
71.		सीकर	एंटीक फर्नीचर
72.		सिरोही	पत्थर की नक्काशी, टाइलें, साइलियम हस्क
73.		श्री गंगानगर	गोंद पाउडर
74.		सवाई माधोपुर	पर्यटन
75.		टोंक	पत्थर की टाइलें और रेत पत्थर की टाइलें
76.		उदयपुर	संगमरमर, खनिज और सेवा निर्यात
77.	**उत्तर प्रदेश**	आगरा	चमड़ा उत्पाद (जूते), आलू, पत्थर हस्तशिल्प, आगरा दरी, पर्यटन, कालीन/दरी, मांस प्रसंस्करण, प्लास्टिक और शल्य चिकित्सा के सामान
78.		अलीगढ़	ताला और हार्डवेयर, भैंस का मांस, हस्तशिल्प वस्तु
79.		अम्बेडकर नगर	कपड़ा उत्पाद, चावल
80.		अमेठी	मूंज, चमड़ा उत्पाद, चावल
81.		औरैया	देसी घी (खाद्य उत्पाद), चावल
82.		फैजाबाद (अयोध्या)	धार्मिक पर्यटन और रेडीमेड गारमेंट्स, पेपर आइटम (ग्लास आइटम)
83.		आजमगढ़	काली मिट्टी के बर्तन, कपड़ा
84.		बदायूं	जरी और जरदोजी, मेंथा तेल और संबद्ध उत्पाद
85.		बागपत	होम फर्निशिंग, पर्दे, बेडशीट, पिलो कवर्स, दरी
86.		बहराइच	गेहूं की बाली, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण / चावल
87.		बलिया	खाद्य प्रसंस्करण
88.		बलरामपुर	दालें, कृषि आधारित उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण
89.		बांदा	शाजर स्टोन क्राफ्ट्स/होजरी गुड्स
90.		बाराबंकी	कपड़ा उत्पाद और मेंथा क्रिस्टल और फ्लेक्स, फ्रॉज़न मांस, जैविक खाद्य और हर्बल उत्पाद, कृषि खाद्य उत्पाद
91.		बरेली	ज़री और जरदोजो, मांस, चावल और मेंथा तेल
92.		बस्ती	लकड़ी के शिल्प, चावल
93.		भदोही (संत रविदास नगर)	हाथ से बने कालीन
94.		बिजनौर	लकड़ी शिल्प, पीतल एल्यूमीनियम, लौह इस्पात, हस्तशिल्प

95.		बुलंदशहर	सिरेमिक उत्पाद, खुर्जा मिट्टी के बर्तन, स्टील पाइप, रसायन, मांस और चावल
96.		चंदौली	प्लास्टिक उत्पाद (एफआईबीसी/प्लास्टिक बुने हुए बोरे/अन्य प्लास्टिक उत्पाद), जरी जरदोजो, चावल, इलेक्ट्रिकल्स, फल
97.		चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने, धार्मिक पर्यटन
98.		देवरिया	सजावटी हस्तशिल्प/वस्त्र
99.		एटा	घुंघरु, घंटी और पीतल के उत्पाद / चिकोरी रोस्टेड
100.		इटावा	कपड़ा उत्पाद (बेडस्प्रेड, टेबल कवर, पर्दे) और चावल
101.		फरुखाबाद	टेक्सटाइल प्रिंटिंग, आलू, फर्रुखाबाद प्रिंट्स, टेक्सटाइल पेंटिंग, चावल
102.		फतेहपुर	चादर, लोहे का निर्माण कार्य, चावल
103.		फिरोजाबाद	फिरोजाबाद कांच, कांच के बने पदार्थ, सजावटी कांच का सामान, थर्मस फ्लास्क
104.		गौतमबुद्धनगर	रेडीमेड गारमेंट्स, बासमती चावल, मांस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान
105.		गाज़ियाबाद	इंजीनियरिंग सामान, चीनी, मशीनरी पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स, पिस्टन और रिंग्स, कपड़ा और घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के सामान, मांस
106.		गाजोपुर	गाजोपुर जूट वॉल हैंगिंग, हरी मिर्च, हरी मटर, चावल
107.		गोंडा	दालें, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण
108.		गोरखपुर	गोरखपुर टेरीकॉट, कपड़ा वस्त्र, काला नमक, चावल
109.		हमीरपुर	जूते
110.		हापुड़ (पंचशील नगर)	होम फर्निशिंग, पेपर कोन, वुडन फर्नीचर, बेडशीट, चावल,
111.		हरदोई	हथकरघा, कीटनाशक, चावल
112.		हाथरस (महामाया नगर)	हिंग (हींग), हार्डवेयर, कॉटन बाथ मेट्स, ड्रेइज़, बिल्डर्स, हैंडल, मेटल हैंडीक्राफ्ट, चावल
113.		जालौन	हस्तनिर्मित कागज कला, मेंथा तेल
114.		जौनपुर	दरी
115.		झाँसी	सॉफ्ट टॉयज, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर /, फूड प्रोसेसिंग, टेक्स्टबुक्स, टूरिज्म, फ्लोर मिल और मशीनरी के पार्ट्स (फ्लोर मिल स्टोन्स), एल्युमिनियम लेबल्स
116.		अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर)	संगीत वाद्ययंत्र, पीतल एल्यूमीनियम, लौह इस्पात, हस्तशिल्प आइटम, लकड़ी के सामान
117.		कन्नौज	कन्नौज (इत्र), परफ्यूम (इत्र) और संबद्ध उद्योग और सुगंधित तेल निष्कर्षण
118.		कानपर देहात	चमड़ा, जोनसाज़ी प्लास्टिक उत्पाद
119.		कानपुर नगर	चमड़ा उत्पाद, फुटवियर, ज़ीनसाज़ी का सामान, इंजीनियरिंग सामान, प्लास्टिक उत्पाद, कपड़ा
120.		काशीराम नगर (कासगंज)	ज़री जरदोजो, मिल्क पाउडर, कपूर
121.		कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण, केला और पर्यटन
122.		कुशी नगर	चीनी सहित कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन
123.		लखोमपुर खेरी	प्लाईवुड
124.		ललितपुर	ज़री सिल्क साड़ी और ग्रेनाइट स्लैब
125.		लखनऊ	लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी आम

			दशहरी, लखनऊ जरी–जरदोजो, आम, मांस
126.		महराजगंज	फर्नीचर और चावल
127.		महोबा	गौरा स्टोन क्राफ्ट
128.		मैनपुरी	तारकशी कला (हस्तशिल्प), चावल
129.		मथुरा	डेयरी उत्पाद, धार्मिक पर्यटन, सेनेटरी फिटिंग, ठाकुर जी पोशाक
130.		मऊ	पावरलूम टेक्सटाइल्स
131.		मेरठ	खेल का सामान, आम, मेरठ कैंची, सी–मांस, क्रिकेट के लिए सुरक्षात्मक उपकरण
132.		मिर्जापुर	मिर्जापुर हस्तनिर्मित कालीन
133.		मुरादाबाद	मुरादाबाद धातु शिल्प, मेंथा उत्पाद, चावल
134.		मुजफ्फरनगर	गुड़, तिल, मांस
135.		पीलीभीत	दरी, चावल
136.		प्रतापगढ़	आंवला उत्पाद, चावल
137.		इलाहाबाद (प्रयाग राज)	धार्मिक पर्यटन, कालीन और कृषि प्रसंस्करण खाद्य, अचार और जैम, चावल
138.		राय बरेली	लकड़ी का काम, इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, एल्यूमिनियम कास्टिंग
139.		रामपुर	एप्लीक कार्य, पैबंदकारी मेंथा उत्पाद, मांस
140.		सहारनपुर	आम, सहारनपुर वुडक्राफ्ट, हर्बल उत्पाद, हौजरी उत्पाद, फ्रोजन मीट
141.		संभल (भीम नगर)	सांग हस्तकला और मेंथा ऑयल
142.		संत कबीर नगर	होजरी उत्पाद
143.		शाहजहांपुर	ज़री और जरदोजो, चावल, सर्जिकल उपकरण और प्लाईवुड
144.		शामली (प्रबुद्ध नगर)	लौह शिल्प
145.		श्रावस्ती	चावल, पर्यटन
146.		सिद्धार्थ नगर	चावल (काला नमक)
147.		सोतापुर	कालीन और दरी, चावल
148.		सोनभद्र	एल्यूमिनियम उत्पाद
149.		सुल्तानपुर	चावल
150.		उन्नाव	चमड़े की वस्तुएं, जरी जरदोजो, प्रसंस्कृत मांस
151.		वाराणसी	रेशम उत्पाद, पर्यटन, ताजो सब्जियां (भिंडी और हरी मिर्च), बनारस ब्रोकेड और साड़ी, बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प, वाराणसी वुडन लाख के बर्तन और खिलौने, बनारस मेटल रिपोज क्राफ्ट, वाराणसी ग्लास बीड्स, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क

अनुलग्नक–II

वित्त वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश) के प्रत्येक जिले से प्रधान वस्तु समूहों के तहत मदों का निर्यात (शीर्ष 5)

क्र. सं.	राज्य	जिला	मद विवरण	(मूल्य अमेरिकन मिलियन डॉलर में)	श्रेणी
1	राजस्थान	अजमेर	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	41.46	1
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	20.06	2
			प्रसंस्कृत खनिज	17.51	3
			सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट	13.50	4
			रेडीमेड गारमेंट्स मानव निर्मित फाइबर	8.70	5
		अलवर	ऑटो टायर और ट्यूब	166.78	1
			मोटर वाहन/कारें	160.12	2
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	109.29	3
			ऑटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स	94.14	4
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	62.52	5
		बांसवाड़ा	मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	47.05	1
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	12.00	2
			सूती धागा	11.62	3
			ऊनी यार्न, कपड़े, मेडअप्स आदि	2.59	4
			अन्य प्लास्टिक मदें	0.33	5
		बारन	गेहूं	20.41	1
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	1.54	2
			खली	0.07	3
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	0.05	4
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.02	5
		बाड़मेर	सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	4.75	1
			मसाले	4.40	2
			दाल	1.47	3
			विविध प्रसंस्कृत मदें	1.34	4
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	1.21	5
		भरतपुर	डेयरी उत्पाद	6.42	1
			अकार्बनिक रसायन	0.11	2
			अन्य अनाज	0.06	3
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	0.03	4
			थोक खनिज और अयस्क	0.02	5

		भीलवाड़ा	मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	158.25	1
			सूती धागा	144.97	2
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	58.73	3
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	31.66	4
			रेडीमेड गारमेंट्स मानव निर्मित फाइबर	26.64	5
		बीकानेर	कालीन (सिल्क छोड़कर) हस्तनिर्मित	15.65	1
			मसाले	8.90	2
			विविध प्रसंस्कृत मदें	6.50	3
			तिल के बीज	5.34	4
			मूंगफली	4.28	5
		बूंदी	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	21.34	1
			खली	8.31	2
			चावल बास्मती	1.55	3
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.21	4
			वनस्पति तेल	0.11	5
		चित्तौड़गढ़	जिक और जिंक से बने उत्पाद	324.57	1
			सूती धागा	38.34	2
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	28.05	3
			सीसा और सीसे से बने उत्पाद	21.70	4
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	7.15	5
		चुरू	प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	22.28	1
			ग्वारगाम खली	5.97	2
			दाल	2.20	3
			अन्य विविध इंजीनियरिंग मदें	0.64	4
			कांच और कांच के बने पदार्थ	0.21	5
		दौसा	मसाले	3.30	1
			एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के उत्पाद	0.43	2
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	0.24	3
			अन्य अनाज	0.16	4
			प्रसंस्कृत खनिज	0.10	5
		धौलपुर	खली	1.63	1
			लौह और इस्पात के उत्पाद	1.29	2
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	1.06	3
			डेयरी उत्पाद	0.70	4
			कृषि रसायन	0.45	5
		डूंगरपुर	रंजक	0.09	1
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	0.08	2
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	0.06	3

			प्रसंस्कृत खनिज	0.04	4
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.04	5
		गंगानगर	आयुष और हर्बल उत्पाद	1.77	1
			पिसे हुए उत्पाद	0.78	2
			खली	0.62	3
			विविध प्रसंस्कृत मदें	0.59	4
			प्रसंस्कृत खनिज	0.54	5
		हनुमानगढ़	अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद	3.14	1
			अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	2.54	2
			अन्य वस्तुएं	1.64	3
			जैविक रसायन	1.58	4
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	1.11	5
		जयपुर	सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण	365.12	1
			मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर	233.72	2
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	135.95	3
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	110.45	4
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	75.24	5
		जैसलमेर	चमड़े की वस्तुएं	1.98	1
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.03	2
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	0.03	3
			अन्य वस्तुएं	0.02	4
			सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण	0.01	5
		जालौर	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	15.32	1
			अन्य वस्तुएं	0.20	2
			इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	0.06	3
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	0.06	4
			प्रसंस्कृत सब्जियां	0.04	5
		झालावाड़	मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	20.12	1
			सूती धागा	7.39	2
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	3.69	3
			प्रसंस्कृत फल और जूस	2.14	4
			अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	0.79	5
		झुंझुनूं	थोक खनिज और अयस्क	30.24	1
			तांबा और तांबा से बने उत्पाद	1.31	2
			अन्य वस्तुएं	0.87	3

			अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	0.75	4
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	0.13	5
		जोधपुर	प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	379.27	1
			अन्य विविध इंजीनियरिंग आइटम	116.59	2
			ग्वारगाम खली	66.24	3
			अन्य वस्तुएं	42.73	4
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों के अतिरिक्त)	21.99	5
		करौली	मोल्डेड और एक्सट्रूडेड वस्तुएं	24.63	1
			अन्य अनाज	0.35	2
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.29	3
			मसाले	0.26	4
			कॉस्मेटिक्स और प्रसाधन सामग्री	0.13	5
		कोटा	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	99.33	1
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप	30.01	2
			तांबा और तांबा से बने उत्पाद	11.66	3
			खली	10.99	4
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	7.18	5
		नागौर	मसाले	2.42	1
			खली	2.02	2
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	1.60	3
			पेंट, वार्निश और संबद्ध उत्पाद	0.89	4
			सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट	0.79	5
		पाली	सूती धागा	5.68	1
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	5.08	2
			कृषि रसायन	4.13	3
			कॉस्मेटिक्स और प्रसाधन सामग्री	3.32	4
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	2.90	5
		राजसमंद	सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट	4.71	1
			तांबा और तांबा से बने उत्पाद	3.08	2
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	3.07	3
			प्रसंस्कृत खनिज	2.59	4
			पेंट, वार्निश और संबद्ध उत्पाद	1.56	5
		सवाई माधोपुर	मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर	0.05	1
			लौह और इस्पात के उत्पाद	0.04	2
			अन्य अनाज	0.03	3
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	0.02	4

			संचायक और बैटरी	0.02	5
		सीकर	मोल्डेड और एक्सट्रूडेड वस्तुएं	7.02	1
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	6.61	2
			तांबा और तांबा से बने उत्पाद	3.92	3
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	2.23	4
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	1.32	5
		सिरोही	आयुष और हर्बल उत्पाद	20.36	1
			चीनी मिट्टी की चीजें और संबद्ध उत्पाद	10.35	2
			थोक खनिज और अयस्क	7.90	3
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	5.86	4
			खली	5.04	5
		टोंक	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	3.67	1
			मसाले	1.41	2
			प्रसंस्कृत खनिज	1.00	3
			खेल के सामान	0.36	4
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.20	5
		उदयपुर	सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट	42.67	1
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	42.10	2
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप	36.76	3
			चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	34.73	4
			मोल्डेड और एक्सट्रूडेड वस्तुएं	24.39	5
		प्रतापगढ़	मसाले	0.16	1
			अन्य तिलहन	0.06	2
			अन्य अनाज	0.02	3
			आयुष और हर्बल उत्पाद	0.01	4
			अन्य वस्तुएं	0.00	5
2.	**उत्तर प्रदेश**	आगरा	चमड़े के फूटवियर	247.92	1
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों के अतिरिक्त)	42.03	2
			भैंस का मांस	27.00	3
			प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट्स आदि	23.47	4
			कालीन (सिल्क को छोड़कर) हस्तनिर्मित	19.84	5
		अलीगढ़	भैंस का मांस	294.68	1
			अन्य अलौह धातु और उत्पाद	111.03	2
			डेयरी उत्पाद	16.87	3
			लौह और इस्पात के उत्पाद	12.69	4

			अन्य वस्तुएं	8.96	5
		प्रयागराज	गेहूं	6.66	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	1.94	2
			कालीन (सिल्क छोड़कर) हस्तनिर्मित	0.41	3
			अन्य कच्चे खनिज	0.27	4
			चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	0.27	5
		अम्बेडकर नगर	अन्य कच्चे खनिज	1.63	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.31	2
			मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	0.17	3
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	0.14	4
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	0.05	5
		औरैया	प्लास्टिक कच्चा माल	7.86	1
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	0.96	2
			रेलवे परिवहन उपकरण, पार्ट्स	0.11	3
			अनाज विनिर्मित	0.06	4
			कालीन (सिल्क के अतिरिक्त) हस्तनिर्मित	0.02	5
		आजमगढ़	सूती कपड़े, मेडअप्स आदि।	0.01	1
			अन्य अलौह धातु और उत्पाद	0.00	2
			प्राकृतिक रेशम यार्न, कपड़े, मेडअप	0.00	3
			कॉस्मेटिक्स और प्रसाधन सामग्री	0.00	4
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	0.00	5
		बागपत	सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	16.87	1
			चीनी	15.87	2
			डेयरी उत्पाद	10.54	3
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों के अतिरिक्त)	8.91	4
			हथकरघा उत्पाद	2.31	5
		बहराइच	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	32.64	1
			चीनी	11.94	2
			ताजी सब्जियां	11.35	3
			गेहूं	4.71	4
			अन्य अनाज	4.01	5
		बलिया	चावल–बासमतो	0.06	1
			विविध प्रसंस्कृत मदें	0.01	2

			अन्य विविध इंजीनियरिंग मदें	0.01	3
			डाई इंटरमीडिएट	0.01	4
			पेंट, वार्निश और संबद्ध उत्पाद	0.00	5
		बलरामपुर	अन्य कच्चे खनिज	0.50	1
			चीनी	0.28	2
			समुद्री उत्पाद	0.22	3
			गेहूं	0.15	4
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.12	5
		बाँदा	हैंड टूल, धातु काटने का उपकरण	0.00	1
		बाराबंकी	मसाले	86.16	1
			भैंस का मांस	24.73	2
			मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	3.12	3
			जैविक रसायन	2.65	4
			आयुष और हर्बल उत्पाद	1.69	5
		बरेली	मसाले	26.95	1
			भैंस का मांस	16.39	2
			चीनी	8.33	3
			जैविक रसायन	4.62	4
			लौह और इस्पात के उत्पाद	2.93	5
		बस्ती	चीनी	4.80	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	1.48	2
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	0.70	3
			गेहूं	0.19	4
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.08	5
		बिजनौर	चीनी	58.82	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	2.04	2
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.93	3
			जैविक रसायन	0.88	4
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों के अतिरिक्त)	0.42	5
		बदाय.	मसाले	8.51	1
			चीनी	1.08	2
			सुगंधित तेल	0.26	3
			जैविक रसायन	0.21	4
			बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट	0.18	5
		बुलंदशहर	लौह और इस्पात के उत्पाद	60.31	1
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	18.97	2

			लोहा और इस्पात	13.71	3
			चीनी मिट्टी की चीजें और संबद्ध उत्पाद	7.44	4
			अन्य प्लास्टिक मदें	5.64	5
		चंदौली	कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	8.30	1
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	7.55	2
			पेट्रोलियम उत्पाद	5.88	3
			पैकेजिंग सामग्री	1.00	4
			अन्य कपड़े के रेडीमेड गारमेंट्स	0.54	5
		चित्रकूट	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.22	1
			सभी प्रकार के पंप	0.19	2
			तांबा और तांबे से बने उत्पाद	0.03	3
			गेहूं	0.01	4
			आईसी इंजन और पार्ट्स	0.01	5
		देवरिया	पेट्रोलियम उत्पाद	58.14	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	11.95	2
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	0.16	3
			अन्य वस्तुएं	0.11	4
			खली	0.05	5
		एटा	विविध प्रसंस्कृत आइटम	7.10	1
			चाय	6.75	2
			अन्य अनाज	2.72	3
			अन्य अलौह धातु और उत्पाद	0.17	4
			अन्य वस्तुएं	0.05	5
		इटावा	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	1.70	1
			चावल – बासमती	1.53	2
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	0.12	3
			अन्य वस्तुएं	0.03	4
			अन्य जूट विनिर्माण	0.02	5
		अयोध्या	पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	5.57	1
			कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	0.80	2
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	0.49	3
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.47	4
			आयुष और हर्बल उत्पाद	0.41	5
		फर्रुखाबाद	तंबाकू अनिर्मित	1.51	1
			चीनी	1.15	2
			रेडीमेड गारमेंट्स मानव निर्मित फाइबर	0.91	3
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज	0.66	4

			सहित		
			अन्य वस्तुएं	0.59	5
		फतेहपुर	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	1.58	1
			गेहूं	1.27	2
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	0.70	3
			पेट्रोलियम उत्पाद	0.61	4
			कॉस्मेटिक्स और प्रसाधन सामग्री	0.45	5
		फिरोजाबाद	कांच और कांच के बने पदार्थ	55.15	1
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	1.28	2
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों के अतिरिक्त)	1.18	3
			खली	0.86	4
			पैकेजिंग सामग्री	0.51	5
		गौतम बुद्ध नगर	दूरसंचार उपकरण	1708.78	1
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	418.06	2
			रेडीमेड वस्त्र मानव निर्मित रेशे	379.59	3
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	216.58	4
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	163.76	5
		गाजियाबाद	भैंस का मांस	348.86	1
			लोहा और इस्पात	84.64	2
			लौह और इस्पात के उत्पाद	46.87	3
			आईसी इंजन और पार्ट्स	36.49	4
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	35.35	5
		गाजीपुर	चावल (बासमती क अतिरिक्त)	4.22	1
			आयुष और हर्बल उत्पाद	0.99	2
			भैंस का मांस	0.39	3
			पैकेजिंग सामग्री	0.27	4
			अन्य अलौह धातु और उत्पाद	0.18	5
		गोंडा	पेट्रोलियम उत्पाद	84.71	1
			गेहूं	45.02	2
			अन्य अनाज	0.65	3
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.58	4
			अन्य कच्चे खनिज	0.39	5

		गोरखपुर	गेहूं	26.18	1
			कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	1.67	2
			चीनी	1.64	3
			खली	1.00	4
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	0.89	5
		हमीरपुर	लोहा और इस्पात	0.46	1
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	0.12	2
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.11	3
			अन्य कच्चे खनिज	0.08	4
			फूलों की खेती के उत्पाद	0.02	5
		हरदोई	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	14.26	1
			चीनी	10.43	2
			कृषि रसायन	9.01	3
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.19	4
			विविध प्रसंस्कृत आइटम	0.10	5
		जालौन	गेहूं	0.61	1
			ताजी सब्जियां	0.06	2
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन सहित एक्सेसरीज	0.03	3
			लौह और इस्पात के उत्पाद	0.03	4
			चमड़े की वस्तुएं	0.02	5
		जौनपुर	कालीन (सिल्क के अतिरिक्त) हस्तनिर्मित	2.52	1
			एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	1.05	2
			लौह और इस्पात के उत्पाद	0.36	3
			कृषि रसायन	0.20	4
			तांबा और तांबे से बने उत्पाद	0.17	5
		झांसी	किताबें, प्रकाशन और छपाई	0.89	1
			अन्य वस्तुएं	0.69	2
			इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	0.58	3
			इलेक्ट्रॉनिक सामान	0.23	4
			क्रेन, लिफ्ट और चरखी	0.21	5
		अमरोहा	अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	36.15	1
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	28.13	2
			जैविक रसायन	24.46	3
			बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट	19.14	4
			चीनी	16.68	5
		कन्नौज	सुगंधित तेल	2.18	1

			कॉस्मेटिक्स और प्रसाधन सामग्री	1.87	2
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	0.34	3
			मसाले	0.20	4
			मूंगफली	0.08	5
		कानपुर देहात	विमान, अंतरिक्ष यान और कलपुर्जे	45.36	1
			चमड़े के फूटवियर	23.02	2
			भैंस का मांस	2.70	3
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	2.15	4
			तैयार चमड़ा	2.11	5
		कानपुर नगर	सैडलरी एंड हार्नेस	150.97	1
			तैयार चमड़ा	137.32	2
			चमड़े के फूटवियर	90.52	3
			लोहा और इस्पात	44.29	4
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	41.69	5
		कौशाम्बी	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	0.01	1
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	0.01	2
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)	0.00	3
			चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	0.00	4
			शल्य चिकित्सा	0.00	5
		खेरी	चीनी	6.73	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	3.57	2
			अनाज विनिर्मिति	0.45	3
			अन्य कच्चे खनिज	0.39	4
			अन्य वस्तुएं	0.35	5
		कुशी नगर	अन्य अलौह धातु और उत्पाद	0.06	1
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	0.05	2
			कच्चे उर्वरक	0.04	3
			इलेक्ट्रोड	0.04	4
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.03	5
		ललितपुर	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	7.85	1
			गेहूं	3.57	2
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	0.39	3
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	0.07	4
			लौह और इस्पात के उत्पाद	0.03	5

		लखनऊ	कृषि रसायन	11.85	1
			लौह और इस्पात के उत्पाद	11.69	2
			गेहूं	11.43	3
			चीनी	11.02	4
			क्रेन, लिफ्ट और चरखी	9.58	5
		हाथरस	डेयरी उत्पाद	3.97	1
			अन्य अलौह धातु और उत्पाद	2.97	2
			कॉपर और कॉपर से बने उत्पाद	2.60	3
			कालीन (सिल्क छोड़कर) हस्तनिर्मित	2.54	4
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)	0.75	5
		महाराजगंज	ताजी सब्जियां	20.97	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	17.51	2
			गेहूं	11.74	3
			ऑटो टायर और ट्यूब	9.49	4
			ताजा फल	7.91	5
		महोबा	मूंगफली	0.05	1
			खली	0.01	2
			हाथ के उपकरण, धातु काटने का उपकरण	0.01	3
			अन्य रबर उत्पाद	0.00	4
		मैनपुरी	एटीएम, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी आदि	0.29	1
			कांच और कांच के बने पदार्थ	0.22	2
			मोटर वाहन/कारें	0.13	3
			अन्य वस्तुएं	0.08	4
			अन्य अनाज	0.05	5
		मथुरा	पेट्रोलियम उत्पाद	74.43	1
			सूती धागा	12.83	2
			लौह और इस्पात के उत्पाद	11.43	3
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	7.12	4
			सूती कपड़े, मेडअप आदि।	3.89	5
		मऊ	मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप	0.34	1
			चावल (बासमती के अलावा)	0.14	2
			अन्य वस्तुएं	0.03	3
			एसी, प्रशीतन मशीनरी आदि	0.02	4
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	0.01	5
		मेरठ	खेल के सामान	47.11	1
			भैंस का मांस	24.23	2

			चीनी	18.90	3
			कालीन (सिल्क छोड़कर) हस्तनिर्मित	9.81	4
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	9.42	5
		मिर्जापुर	कालीन (सिल्क छोड़कर) हस्तनिर्मित	62.29	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	3.43	2
			रेशम के कालीन	2.04	3
			हथकरघा उत्पाद	1.95	4
			जूट का फर्श कवरिंग	1.62	5
		मुरादाबाद	लौह और इस्पात के उत्पाद	301.33	1
			एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के उत्पाद	141.97	2
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	123.56	3
			कांच और कांच के बने पदार्थ	90.58	4
			तांबा और तांबे से बने उत्पाद	81.66	5
		मुजफ्फरनगर	पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	15.73	1
			चीनी	10.10	2
			भैंस का मांस	2.86	3
			बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट	1.93	4
			तिल के बीज	1.81	5
		पीलीभीत	चीनी	11.39	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	3.42	2
			चावल बासमती	2.34	3
			गेहूं	0.80	4
			अन्य वस्तुएं	0.47	5
		प्रतापगढ़	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	1.10	1
			रेडीमेड गारमेंट्स वूल	0.48	2
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	0.46	3
			मसाले	0.04	4
			खेल के सामान	0.01	5
		रायबरेली	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	9.66	1
			गेहूं	6.53	2
			रेलवे परिवहन उपकरण, पार्ट्स	5.16	3
			एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	0.18	4
			चावल बासमती	0.11	5
		रामपुर	मसाले	56.07	1
			भैंस का मांस	43.58	2
			जैविक रसायन	13.97	3
			चीनी	12.45	4
			मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	6.06	5

		सहारनपुर	भैंस का मांस	45.84	1
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	42.10	2
			चीनी	37.15	3
			अन्य वस्तुएं	13.78	4
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	4.88	5
		संत कबीर नगर	जैविक रसायन	0.87	1
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	0.29	2
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	0.21	3
			मिल्ड उत्पाद	0.03	4
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.02	5
		भदोही	कालीन (सिल्क छोड़कर) हस्तनिर्मित	288.69	1
			प्राकृतिक रेशम यार्न, कपड़े, मेडअप्स	29.79	2
			रेशमी कालीन	9.56	3
			जूट का फर्श कवरिंग	7.22	4
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)	5.03	5
		शाहजहांपुर	चीनी	41.05	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	3.03	2
			गेहूं	2.43	3
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.71	4
			अन्य कच्चे खनिज	0.50	5
		श्रावस्ती	रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	0.06	1
			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	0.01	2
			लौह और इस्पात के उत्पाद	0.00	3
		सिद्धार्थ नगर	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	5.07	1
			गेहूं	4.53	2
			पीसे हुए उत्पाद	1.38	3
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि।	0.84	4
			ताजा फल	0.63	5
		सीतापुर	कालीन (सिल्क छोड़कर) हस्तनिर्मित	9.91	1
			चीनी	8.14	2
			चावल (बासमती के अलावा)	8.11	3
			खली	1.36	4
			जूट का फर्श कवरिंग	1.23	5
		सोनभद्र	एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	288.93	1
			अकार्बनिक रसायन	7.00	2
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध	1.39	3

			उत्पाद		
			अन्य कच्चे खनिज	0.19	4
			कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	0.17	5
		सुल्तानपुर	गेहूं	12.36	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	1.93	2
			संचायक और बैटरी	0.16	3
			चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	0.15	4
			ऑटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स	0.06	5
		उन्नाव	भैंस का मांस	232.64	1
			चमड़े के फूटवियर	46.00	2
			अन्य वस्तुएं	13.17	3
			तैयार चमड़ा	10.75	4
			चमड़े की वस्तुएं	9.25	5
		वाराणसी	कालीन (सिल्क छोड़कर) हस्तनिर्मित	21.71	1
			रेलवे परिवहन उपकरण, पार्ट्स	11.29	2
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप	2.16	3
			रेडीमेड गारमेंट्स मानव निर्मित फाइबर	1.65	4
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	1.50	5
		कासगंज	जैविक रसायन	0.35	1
			अन्य वस्तुएं	0.02	2
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	0.01	3
			आयुष और हर्बल उत्पाद	0.01	4
			कॉस्मेटिक सामग्री और प्रसाधन सामग्री	0.01	5
		अमेठी	गेहूं	10.79	1
			विमान, अंतरिक्ष यान और कलपुर्जे	0.94	2
			ऑटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स	0.38	3
			उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.23	4
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.15	5
		संभल	मसाले	78.67	1
			भैंस का मांस	70.88	2
			अन्य वस्तुएं	5.91	3
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)	5.31	4
			चीनी	4.44	5
		शामली	भैंस का मांस	7.74	1
			चीनी	3.57	2
			ऑटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स	1.42	3
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	1.38	4

			प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	1.01	5
		हापुड़	प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	25.17	1
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	14.17	2
			भैंस का मांस	10.51	3
			लौह और इस्पात के उत्पाद	6.01	4
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	5.87	5
3	ओडिशा	अनुगुल	लोहा और इस्पात	921.22	1
			प्रसंस्कृत खनिज	305.45	2
			एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	243.97	3
			अन्य वस्तुएं	0.79	4
			लौह अयस्क	0.57	5
		बालंगीर	अपशिष्ट सहित कॉटन रॉ	5.96	1
			उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.44	2
			लोहा और इस्पात	0.43	3
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.15	4
			अन्य वस्तुएं	0.12	5
		बालेश्वर	समुद्री उत्पाद	141.14	1
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	45.50	2
			एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	2.55	3
			ऑटो टायर और ट्यूब	1.64	4
			लोहा और इस्पात	0.93	5
		बारगढ़	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	6.15	1
			अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	2.29	2
			अन्य वस्तुएं	0.19	3
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.17	4
			अन्य कच्चे खनिज	0.03	5
		भद्रक	लोहा और इस्पात	31.99	1
			मसाले	0.04	2
			मोती, कीमती, अर्ध–कीमती पत्थर	0.04	3
			अन्य निर्माण मशीनरी	0.03	4
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.03	5
		बौध	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.90	1
		कटक	लोहा और इस्पात	231.29	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	2.80	2
			लौह और इस्पात के उत्पाद	2.19	3
			समुद्री उत्पाद	0.71	4
			अन्य वस्तुएं	0.54	5

		देवगढ़	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.09	1
			अन्य वस्तुएं	0.03	2
			अन्य निर्माण मशीनरी	0.03	3
			अन्य वस्त्र सामग्री के रेडीमेड गारमेंट्स	0.01	4
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	0.01	5
		ढेंकनाल	लोहा और इस्पात	524.62	1
			अन्य कच्चे खनिज	6.30	2
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	4.19	3
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.36	4
			अकार्बनिक रसायन	0.04	5
		गजपति	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	0.04	1
		गंजम	पेंट, वार्निश और संबद्ध उत्पाद	30.43	1
			लोहा और इस्पात	13.97	2
			थोक खनिज और अयस्क	12.37	3
			प्रसंस्कृत खनिज	6.14	4
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	1.55	5
		जगतसिंहपुर	पेट्रोलियम उत्पाद	975.54	1
			लौह अयस्क	41.81	2
			कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	16.56	3
			समुद्री उत्पाद	12.17	4
			प्लास्टिक कच्चे माल	4.25	5
		जाजपुर	लोहा और इस्पात	798.51	1
			लौह अयस्क	239.83	2
			कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	71.73	3
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	1.23	4
			प्रसंस्कृत फल और जूस	1.13	5
		झारसुगुडा	एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	2648.64	1
			चीनी मिट्टी की चीजें और संबद्ध उत्पाद	21.87	2
			लोहा और इस्पात	2.55	3
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	2.09	4
			अन्य वस्तुएं	0.06	5
		कालाहांडी	अन्य अनाज	7.33	1
			अपशिष्ट सहित कॉटन रॉ	0.77	2
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.10	3

			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.01	4
			अन्य कच्चे खनिज	0.00	5
		कंधमाल	मसाले	0.10	1
			कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	0.01	2
		केंद्रपाड़ा	चीनी मिट्टी की चीजें और संबद्ध उत्पाद	0.03	1
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.02	2
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	0.00	3
		केंदुझार	लौह अयस्क	546.24	1
			लोहा और इस्पात	29.23	2
			अन्य निर्माण मशीनरी	3.62	3
			थोक खनिज और अयस्क	2.77	4
			मोटर वाहन/कारें	2.42	5
		खोरधा	समुद्री उत्पाद	258.21	1
			लोहा और इस्पात	59.51	2
			निर्मित उर्वरक	20.75	3
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	11.24	4
			एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	6.46	5
		कोरापुट	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	2.45	1
			मसाले	1.08	2
			प्रसंस्कृत खनिज	0.25	3
			अन्य अनाज	0.25	4
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	0.16	5
		मल्कानगिरी	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	0.09	1
			अन्य वस्तुएं	0.06	2
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	0.05	3
			जैविक रसायन	0.00	4
		मयूरभंज	लौह अयस्क	2.60	1
			लौह और इस्पात के उत्पाद	0.99	2
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.05	3
			अन्य निर्माण मशीनरी	0.02	4
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	0.00	5
		नबरंगपुर	अन्य अनाज	12.59	1

			आयुष और हर्बल उत्पाद	0.01	2
			चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	0.00	3
			आईसी इंजन और पार्ट्स	0.00	4
			ताजी सब्जियां	0.00	5
		नयागढ़	समुद्री उत्पाद	42.38	1
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	0.01	2
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	0.00	3
			लौह और इस्पात के उत्पाद	0.00	4
		नुआपाड़ा	ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	0.00	1
			आयुष और हर्बल उत्पाद	0.00	2
		पुरी	समुद्री उत्पाद	10.02	1
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	0.53	2
			चावल बासमती	0.02	3
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	0.02	4
			हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)	0.01	5
		रायगढ़	लोहा और इस्पात	66.08	1
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	25.72	2
			अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	18.16	3
			प्रसंस्कृत खनिज	15.08	4
			डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	0.33	5
		संबलपुर	लोहा और इस्पात	725.34	1
			एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के उत्पाद	509.46	2
			लौह अयस्क	20.61	3
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	4.13	4
			अन्य वस्तुएं	0.39	5
		सोनपुर	चीनी मिट्टी की चीजें और संबद्ध उत्पाद	0.08	1
			मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप्स	0.05	2
			पैकेजिंग सामग्री	0.05	3
			पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	0.03	4
			प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट्स आदि	0.00	5
		सुंदरगढ़	लौह अयस्क	541.41	1
			लोहा और इस्पात	153.08	2
			चीनी मिट्टी की चीजें और संबद्ध उत्पाद	22.21	3
			लौह और इस्पात के उत्पाद	4.00	4

			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	0.95	5
4.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	मोटर वाहन/कारें	370.43	1
			आईसी इंजन और पार्ट्स	88.20	2
			ऑटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स	65.67	3
			रेडीमेड गारमेंट्स कॉटन, एक्सेसरीज सहित	19.01	4
			जैविक रसायन	11.02	5
		चित्तूर	संचायक और बैटरी	103.63	1
			रेलवे परिवहन उपकरण और पुर्जे	95.59	2
			मोटर वाहन/कारें	87.27	3
			एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के उत्पाद	79.14	4
			प्रसंस्कृत फल और जूस	73.56	5
		वाई.एस.आर.	प्रसंस्कृत खनिज	75.06	1
			सूती धागा	5.63	2
			मूंगफली	4.53	3
			अकार्बनिक रसायन	3.76	4
			मसाले	2.64	5
		पूर्वी गोदावरी	जहाज, नाव और तैरती संरचना	1292.21	1
			समुद्री उत्पाद	469.93	2
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	437.49	3
			चीनी	212.32	4
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	200.54	5
		गुंटूर	मसाले	331.13	1
			तंबाकू अनिर्मित	218.35	2
			सूती धागा	186.09	3
			समुद्री उत्पाद	83.28	4
			कॉफी	53.40	5
		कृष्णा	समुद्री उत्पाद	165.22	1
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	20.91	2
			जैविक रसायन	19.81	3
			सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	13.99	4
			सूती धागा	13.81	5
		कुरनूल	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	17.77	1
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	8.50	2
			कृषि रसायन	7.40	3
			अकार्बनिक रसायन	5.97	4

			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	2.60	5
		एसपीएसआर नेल्लोर	समुद्री उत्पाद	382.40	1
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	147.16	2
			इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	99.39	3
			चमड़े के फुटवियर	91.75	4
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	43.09	5
		प्रकाशम	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	309.90	1
			समुद्री उत्पाद	219.34	2
			तंबाकू अनिर्मित	115.25	3
			मसाले	45.25	4
			सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट	13.61	5
		श्रीकाकुलम	ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	75.22	1
			बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट	48.24	2
			कृषि रसायन	38.23	3
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	37.11	4
			ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	27.78	5
		विशाखापत्तनम	लोहा और इस्पात	1068.48	1
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	533.18	2
			ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	422.19	3
			समुद्री उत्पाद	343.89	4
			कृषि रसायन	239.24	5
		विजयनगरम	लोहा और इस्पात	226.43	1
			अन्य अनाज	19.59	2
			जैविक रसायन	10.36	3
			समुद्री उत्पाद	7.08	4
			अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	6.21	5
		पश्चिम गोदावरी	समुद्री उत्पाद	662.43	1
			मानव बाल और संबंधित उत्पाद	123.16	2
			चावल (बासमती के अतिरिक्त)	121.31	3
			सूती धागा	25.37	4
			कॉफी	19.61	5

स्रोतः डीजीसीआईएस

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *14

दिनांक 2 फरवरी, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

हल्दी के उपयोग को बढ़ावा देना

***14. श्री अरविंद धर्मापुरी :**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कितने मूल्य की कितनी हल्दी की राज्य-वार खपत हुई है ;
(ख) क्या सरकार हल्दी का पारंपरिक तौर-तरीकों से विपणन करने के अलावा हल्दी का डिजिटल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन करने अथवा इसके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) हल्दी की घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय खपत को बढ़ाने के लिए हल्दी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कितनी धनराशि प्रदान/व्यय किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) गत सात वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान हमारे देश से किन-किन देशों को कितने मूल्य की हल्दी का निर्यात किया गया है और इसकी मात्रा कितनी है;
(ड.) क्या राज्य सरकारों ने तेलंगाना सहित देश के कुछ भागों में बेमौसमी वर्षा के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए हल्दी के निर्यात को सुकर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों/सहायता का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

हल्दी के संवर्धन के संबंध में दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 14 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) हल्दी सहित मसालों के उत्पादन, अनुसंधान, विकास, घरेलू विपणन के लिए अधिदेश केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में निहित है। तथापि, इलायची के उत्पादन और अनुसंधान तथा 52 मसालों के फसल पश्चात प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात संवर्धन के लिए अधिदेश के अनुसार, स्पाइसेस बोर्ड हल्दी सहित मसालों के फसल पश्चात सुधार, बाजार लिंकेज निर्माण, निर्यात संवर्धन आदि गतिविधियों को कर रहा है, जिससे हितधारकों को लाभ हुआ है।

घरेलू स्तर पर खपत की गई हल्दी की मात्रा और मूल्य के ऑकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं तथापि, हल्दी के राज्य-वार उत्पादन का ऑकड़ा अनुबंध – I में उपलब्ध और संलग्न है।

(ख) सरकार स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से ट्विटर, मेटा (फेसबुक), यू ट्यूब, इंस्टाग्राम, कू (भारतीय ऐप), लिंक्डइन आदि पर अपने सोशल मीडिया हैडलों पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से हल्दी सहित भारतीय मसालों को बढ़ावा दे रही है। ये अभियान भारतीय मसालों के उत्पादन, फसल-पश्चात प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन आदि पर प्रामाणिक और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के अलावा पाककला, औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों को कवर करते है। मसाला संबंधी अभियानों को सोशल मीडिया पर चलाया जाता हैं ताकि सीमा पार कर विश्व भर में मसाला उत्साही लोगों को अपील कर सकें। सोशल मीडिया पोस्ट को दैनिक आधार पर संवादात्मक सामग्रियों के साथ अद्यतन किया जाता है।

नियमित सोशल मीडिया अद्यतन के अलावा, बोर्ड भारतीय मसालों के मूल्य और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों और मीडिया हाउस के सहयोग से कई फोकस कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके साथ ही, सरकार स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से विभिन्न देशों में डिजिटल/ऑनलाइन माध्यम, वेविनारों की श्रृंखला, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि, विभिन्न पणधारकों को शामिल करते हुए मसालों तथा मसाला के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक (वीबीएसएम) का आयोजन कर रही है।

ग) वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान "मसाला निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार और इलायची अनुसंधान और विकास के लिए समेकित स्कीम" के नाम से स्पाइसेस बोर्ड की स्कीम का कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है। उपरोक्त स्कीम के निर्यात विकास और संवर्धन (ईडीपी) संघटक का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्दी और अन्य मसालों को बढ़ावा देना है, अवसंरचना विकास, मूल्य संवर्धन, व्यापार संवर्धन आदि के लिए निर्यातकों का समर्थन करना है। इस स्कीम के तहत 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए ईडीपी संघटक के लिए 18.00 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग हल्दी और अन्य मसालों के अंतरराष्ट्रीय प्रचार के संबंध में गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

इंडीपी संघटक के तहत कार्यक्रमों के अलावा, निर्यातोन्मुख उत्पादन (ईओपी) (फसल कटाई पश्चात सुधार, प्रसंस्करण आदि के लिए समर्थन), गुणवत्ता सुधार (क्यूआई) (निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रबंधन, उत्पादकों एवं अन्य हितधारकों के लिए हल्दी में करक्यूमिन जैसे आंतरिक मापदंडों का आकलन के लिए विश्लेष्णात्मक सेवाएं) आदि स्कीम संघटकों के तहत विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, जो भारत से हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने में योगदान देता है।

इसके अलावा, भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से, उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत राज्य विभागों के माध्यम से, हल्दी सहित बागवानी फसलों के लिए कई विकास कार्यक्रमों को लागू करती है और इस प्रकार किसानों की आय को बढ़ा रहे हैं। इनमें नए उद्यानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार), एकीकृत कीट प्रबंधन/एकीकृत नेमाटोड प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, जल संसाधनों का निर्माण, कटाई के बाद प्रबंधन, बाजार यार्ड का विकास, मानव संसाधन विकास आदि शामिल हैं।

घ) 2014-15 के दौरान 2020-21 तक हल्दी की देश-वार निर्यात मात्रा और मूल्य अनुबंध-II में संलग्न है।

ङ.) वाणिज्य विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है

च) लागू नहीं।

*****

<u>अनुबंध-I:</u>

<u>क) पिछले 10 वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक के दौरान देश में खपत की गई हल्दी की राज्य-वार मात्रा और मूल्य</u>

<u>हल्दी का राज्यवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2011-12 से 2020-21*)</u>

(हेक्टेयर में क्षेत्र, टन में उत्पादन)

राज्य	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20(*)		2020-21(adv.est)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
तेलंगाना					49638	252061	43480	216270	43475	216270	50580	305100	50150	294560	53104	345270	55444	386596	49000	313000
महाराष्ट्र	14039	13337	11000	11000	11000	11000	13480	32050	10710	177850	14050	44940	15760	38590	17224	38310	54248	218873	57669	226714
कर्नाटक	25439	128245	16104	100000	13975	65406	12820	76780	12825	76780	19330	114510	19340	122760	26579	153770	20740	132668	21496	130928
तमिल नाडु	67246	368413	35760	190100	31970	118000	26070	105000	34730	132400	35800	129560	18080	73130	23351	92360	18432	96254	20894	86513
आंध्र प्रदेश	81170	506865	68000	439000	17822	151906	16530	143230	19500	112695	19180	79730	19620	79730	28921	69410	29717	71321	30518	73244
मध्य प्रदेश	997	722	1437	1544	1394	1527	1417	1614	1650	1610	12876	45916	11700	41290	13666	47660	16272	57067	17053	60097
पश्चिम बंगाल	16029	38950	15800	42000	15800	42000	15800	42000	15800	42000	18000	45500	17450	44700	17737	45460	17812	45648	17749	45698
ओडिशा	26880	209080	2480	30000	2480	30000	2480	30000	2480	30000	27860	43600	27870	43610	27869	43615	27869	43615	27867	43611
मिजोरम	5580	29239	6050	22990	6050	22990	6350	25130	6350	25130	7480	28890	7740	29820	7738	29820	7653	29510	7653	29510
गुजरात	2971	50493	2975	50493	2975	50493	3290	64070	3290	64070	3710	14630	4010	15780	4425	17386	4570	18181	7653	29510
असम	15450	13440	16241	15429	16309	15782	16570	16340	1689	16750	16800	16750	16870	20790	15896	19395	17629	22829	16359	20885
अन्य सहित कुल (1000 में)	**251.82**	**1,398.86**	**194.33**	**986.69**	**207.57**	**1,092.63**	**178.47**	**846.25**	**190.42**	**843.53**	**247.63**	**925.27**	**231.64**	**863.46**	**261.92**	**957.13**	**296.18**	**1,178.75**	**294.54**	**1,101.92**

स्रोत :1) मसाले - राज्य के कृषि/बागवानी विभाग/डीएएसडी कोझिकोड

2018-19 के बाद के आंकड़े संशोधन के अधीन हैं

(अनुमान): अनुमान; (*) अस्थायी

<u>अनुबंध-II:</u>

(घ) पिछले सात वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक के दौरान देश-वार निर्यात की गई हल्दी की मात्रा और मूल्य

भारत से हल्दी का देश-वार निर्यात(2014-15 से 2020-21*)

	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21(*)	
प्रमुख देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	मीट्रिक टन	लाख रूपये	मीट्रिक टन	लाख रूपये	मीट्रिक टन	लाख रूपये	मीट्रिक टन	लाख रूपये	मीट्रिक टन	लाख रूपये	मीट्रिक टन	लाख रूपये	मीट्रिक टन	लाख रूपये
बांग्लादेश	7283.06	5045.09	4802.80	2478.43	12772.51	10889.55	4276.80	3190.27	11602.11	12295.67	24126.49	16137.24	51308.22	32910.09
अमेरीका	4717.80	6064.87	5543.95	9388.53	6830.39	11410.39	6434.75	11158.83	7339.85	16682.90	7276.45	15784.11	10408.56	16431.18
संयुक्त अरब अमीरात	7264.29	5148.07	5905.65	5298.46	8195.76	7645.26	7952.30	6548.91	7461.38	6522.92	6736.27	7608.92	13795.50	9835.95
ईरान	10319.00	7280.96	13141.09	11975.44	14862.40	13575.50	13431.40	10290.83	19061.58	19328.90	14358.00	11057.12	11229.45	7602.91
मलेशिया	5913.48	5222.30	6375.79	6593.10	6249.37	6408.74	6562.12	6104.92	6937.45	6467.32	6955.55	6119.41	7986.97	6656.32
यूके	3566.93	3358.02	3935.00	4410.65	3892.94	5473.00	4417.28	4878.40	4561.23	5633.30	4225.38	5017.49	5627.48	6005.11
मोरक्को	3002.50	2087.50	2294.14	2027.27	5271.30	4655.87	6220.14	4911.81	8760.20	6767.64	8693.72	6074.84	8905.76	5970.00
जर्मनी:	1993.40	2159.42	2450.90	3145.06	2838.15	4231.07	2872.23	3644.75	3635.64	5925.43	3628.30	4899.50	4260.10	5533.40
जापान	3179.60	3402.26	2531.13	3428.39	2421.28	3734.44	2835.11	3392.81	2787.69	3866.40	3110.96	3823.60	3866.16	4621.86
श्रीलंका	4838.38	3485.05	4634.09	4337.24	4758.18	4482.59	5252.54	4462.32	5303.03	4579.33	4579.50	3780.04	4905.47	4328.30
नीदरलैंड	2003.86	1913.32	2605.61	3200.18	2337.78	3087.44	2897.17	3336.95	2777.89	3729.29	3348.64	4214.20	3222.58	3860.03
सऊदी अरब	3413.09	2996.65	4105.28	4196.04	5257.16	5036.65	4006.50	3379.36	4499.11	3692.24	4729.36	4177.89	4756.80	3736.14
दक्षिण अफ्रीका	2514.93	2293.83	2514.93	2293.83	2228.69	2444.97	2617.43	3172.24	2735.78	2812.19	2874.48	2923.07	3649.76	3283.12
कुल(अन्य सहित)	86000.00	74435.00	88500.00	92165.00	116500.00	124190.65	107300.00	103567.63	133600.00	141616.00	137650.00	128690.53	183868.17	172264.56

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता/निर्यातकों की रिटर्न/सीमा शुल्क से डीएलई:: (*) : अनुमान

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 15

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

12वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

15. श्री हिबी ईडन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस आरोप से अवगत है कि विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी-12) में मछुआरों को मिलने वाली सब्सिडी से संबंधित विनियमों का रखा जाने वाला प्रारूप संपूर्ण लघु, पारंपरिक व सीमांत मछुआरा समुदाय के उन्मूलन का ही घोषणा पत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या प्रस्तावित प्रारूप के अनुच्छेद 05 में मछुआरों को मिलने वाली प्रत्येक सब्सिडी तथा ईंधन लागत, बीमा, मछली का समर्थन मूल्य, प्रक्रियागत हानियों तथा नौका-आधुनिकीकरण पर मिलने वाली सब्सिडी को निरस्त करने की बात कही गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या रवैया है;

(ग) क्या सरकार ने मत्स्यन क्षेत्र के लिए विश्व व्यापार संगठन से की जाने वाली वार्ता के प्रारूप में प्रदूषक पर लगने वाले जुर्माने' का सिद्धांत शामिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विकसित देशों द्वारा गहन समुद्र में किए जाने वाले उच्च सब्सिडी प्राप्त मत्स्यन के विरुद्ध घरेलू मत्स्यन क्षेत्र के हितों की संरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (यूएनएसडीजी) टार्गेट 14.6 के अधिदेश के अनुसार, सदस्य व्यापक और प्रभावी व्यवस्था जो मत्स्योद्योग सब्सिडियों के कतिपय प्रकारों को निषेध करती है जो अधिक क्षमता और अधिक मछली पकड़ने में योगदान देते है तथा अवैध, गैरसूचित और अनियंत्रित (आईयूयू) मछली पकड़ने एवं मछली स्टॉक से अधिक मछली पकड़ने के लिए एक करार को अपनाने की दृष्टि से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में मत्स्योद्योग सब्सिडियों पर व्यवस्था पर वार्ता कर रहे हैं। सब्सिडी जारी रखने के लिए संरक्षण और प्रबंधन उपायों का उपयोग करने के लिए अंतर्निहित लचीलापन भी इन व्यवस्थाओं का भाग है।

अधिदेश में विकासशील देश सदस्यों के लिए उचित और प्रभावी विशेष और विभेदक प्रतिपादन का भी प्रावधान है। इस संदर्भ में, इन वार्ताओं में, भारत ने हमारे ईईजेड तक कम आय, संसाधन-गरीब या आजीविका मछली पकड़ने या मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, हमारे मत्स्योद्योग क्षेत्र को विकसित और आधुनिक बनाने तथा गहन समुद्र में हमारी मछली पकड़ने की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नीतिगत स्थान की मांग की है।

भारत ने दिनांक 23 सितंबर, 2021 को विश्व व्यापार संगठन में एक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है, जिसमें मत्स्योद्योग सब्सिडी वार्ता के लिए 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत शामिल है, जो उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से आगे मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए दूरस्थ जल में मछली पकड़ने वाले देशों द्वारा सब्सिडी पर अधिस्थगन का प्रस्ताव करता है और उन राष्ट्रों द्वारा दूरस्थ जल में मछली पकड़ने की क्षमता में कमी की प्रतिबद्धताओं की भी मांग करता है। भारत दूरस्थ जल में मछली पकड़ने वाला राष्ट्र नहीं है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *16**

(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 2 फरवरी, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

सेवा संबंधी निर्यात को बढ़ाया जाना

***16. श्री बिद्युत बरन महतो :**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस दशक के अंत तक एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए सेवाओं संबंधी निर्यात वृद्धि को तीव्र करने एवं सहायता प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर बल देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अपने वाणिज्य-वस्तु निर्यात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा क्षेत्र में नौकरियों का सृजन करने एवं इसका उत्थान करने के लिए तथा क्षेत्र के विकास के लिए टियर-2 एवं टियर-3 नगरों और शहरों में आईटी हब्स आरंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस प्रयोजनार्थ संस्वीकृत एवं जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) ऐसे आईटी हब्स की स्थापना करने हेतु चिन्हित किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) स्टार्ट अप्स हेतु अनुकूल पारि-प्रणाली का सृजन करने, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के तीव्र विकास में सहायता करने और देश में सेवाओं के निर्यात में योगदान के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

“सेवा निर्यात को बढ़ावा देने” के संबंध में 2 फरवरी 2022 को उत्तर देने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) देश में आईटी/आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल इस प्रकार है:

i. भारत को वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति-2019,जो आईसीटी के आधार पर क्षेत्र के विकास के लिए नवाचार, बेहतर व्यावसायीकरण, टिकाऊ बौद्धिक संपदा (आईपी), प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप और विशिष्ट कौशल सेट को बढ़ावा देने से प्रेरित है, की मंजूरी दी गई है। नीति का उद्देश्य एक मजबूत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि हो और 2025 तक 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया जा सके।

ii. सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (एनपीएसपी 2019) के एक बड़े हिस्से का समाधान करने के लिए नेक्स्ट जेनेरशन इन्क्यूबेशन स्कीम (एनजीआईएस) को मंजूरी दी गई है। निरंतर विकास, नए रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए मजबूत आईटी उद्योग को सहायता करने के लिए एक वाइब्रेंट सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना की गई है।

iii. आईटी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य पहलों में चैंपियन सेक्टर सेवा स्कीम के तहत फ्यूचर स्किल्स प्राइम, नॉर्डिक्स और अफ्रीका क्षेत्र में बाजार विकास पहल, बाजार आउटरीच पहल आदि शामिल हैं।

iv. इसके अलावा, आईटी सेवाओं सहित सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य विभाग एक बहु-आयामी रणनीति का पालन करता है जिसमें बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से सार्थक बाजार पहुंच प्राप्त करना शामिल है। इन समझौतों के एक भाग के रूप में सेवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही गतिशीलता के मुद्दों का समाधान करने और निर्यातकों और अन्य हितधारकों के सामने आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए भी केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पण्यवस्तु निर्यात के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों, विदेश स्थित मिशनों और सभी निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) को सूचित कर दिया गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

i. 'निर्यात हब के रूप में जिले' (डीइएच) पहल जिसके तहत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में प्रत्येक जिले में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। डीइपीसी

का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और जिला स्तरों के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएँ तैयार करना और उन पर कार्य करना है।

ii. कृषि उत्पादों के निर्यात और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल ढुलाई के नुकसान को कम करने के लिए माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए)' कार्यान्वित की जा रही है।

iii. बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम एक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम है जिसकी परिकल्पना भारत के निर्यात को निरंतर आधार पर बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में की गई है। यह स्कीम बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण द्वारा विशिष्ट बाजार और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए केंद्रित उत्पाद-केंद्रित देश दृष्टिकोण पर तैयार की गई है। नए बाजारों तक पहुंच या मौजूदा बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि के लिए निर्यात संवर्धन संगठनों/व्यापार संवर्धन संगठनों/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं, निर्यातकों आदि को सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के निर्यातकों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड के तहत सहायता भी उपलब्ध है।

v. निर्यात के विकास के लिए उचित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) वित्त वर्ष 2017-18 से चल रही है।

vi. सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीइपी) की शुरुआत की है। यह स्कीम केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न चरणों में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क/करों/लेवी की छूट चाहती है, जो निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च की जाती हैं, लेकिन वर्तमान में किसी अन्य शुल्क रियायत स्कीम के तहत वापस नहीं की जा रही हैं ।

vii. व्यापार को सुकर बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म।

viii. ईपीसी, कमोडिटी बोर्ड और विदेशों में भारत के मिशन सक्रिय रूप से भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।

(ग)इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) ने देश भर में 62एसटीपीआई केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 54 केंद्र टियर II और टियर III शहरों में स्थित हैं।छोटे शहरों और कस्बों (मेट्रो स्थानों को छोड़कर) में आईटी / आईटीईएस उद्योग के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, सरकार ने दो

बीपीओ प्रोत्साहन स्कीम यथा भारत बीपीओ प्रोत्साहन स्कीम (आईबीपीएस) और उत्तर पूर्व बीपीओ प्रोत्साहन स्कीम (एनईबीपीएस) शुरू की थी। इन स्कीमों का उद्देश्य वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रति सीट 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके 53,300 सीटों वाले बीपीओ/आईटीईएस संचालन की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इन स्कीमों की शुरुआत से, लगभग 250 इकाइयों ने देश के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित किया है, जिनसे 47,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इन स्कीमों के तहत, वित्तीय सहायता का संवितरण प्रतिपूर्ति के आधार पर है, जो उद्देश्य यानी इकाइयों द्वारा रोजगार सृजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

(घ) नए एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना की मौजूदा नीति के अनुसार एसटीपीआई द्वारा एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना अपने आंतरिक स्रोतों से की जा रही है, इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत या जारी नहीं की जा रही है। अब तक,आईपीबीएस और एनईबीपीएस स्कीमों के तहत बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों को 80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया है।

(ड़) वर्तमान एसटीपीआई केंद्रों की राज्य-वार सूची अनुबंध-I पर दी गई है।

(च) स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा उपयुक्त भागीदारों और हितधारकों (राज्य सरकार, उद्योग/उद्योग संघ, शैक्षणिक समुदाय) के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में कई डोमेन-केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए गए हैं। ये सीओई अपेक्षित प्रयोगशाला सहायता, वित्त पोषण, परामर्श सेवाएं, आदि प्रदान करने के लिए एकल-खिड़की फैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं।

इसके अलावा, आईटी उद्योग को तेजी से बढ़ने और देश की सेवाओं के निर्यात में योगदान करने में सहायता करने के लिए: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) स्कीम-100% निर्यात-उन्मुख स्कीम, एसटीपीआई द्वारा लागू की जा रही है ताकि पेशेवर सेवाओं के निर्यात सहित संचार लिंक या वास्तविक मीडिया का उपयोग करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास और निर्यात किया जा सके।

प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप-नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की अन्य प्रमुख पहलें हैं:

- प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीइ 2.0) स्कीम
- एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप हब (एमएसएच)
- कोविड पश्चात् प्रौद्योगिकी अवसरों (ससक्त) के संदर्भ में स्टार्टअप को गति देने की स्कीम
- स्टार्ट-अप एक्सेलरेटर कार्यक्रम
- इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और डिजाइन विनिर्माण उद्यमी पार्क
- एसएमई के लिए ई एवं आईटी (एसआईपी-ईआईटी) स्कीम में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए सहायता

अनुबंध-I: वर्तमान एसटीपीआई केंद्रों की सूची:

क्र.सं.	राज्य	केंद्र का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा
2.		तिरुपति
3.		विजयवाड़ा
4.		विशाखापत्तनम
5.	असम	गुवाहाटी
6.	बिहार	पटना
7.	छत्तीसगढ़	भिलाई
8.	गुजरात	गांधीनगर
9.		सूरत
10.	हरियाणा	गुडगाँव
11.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
12.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
13.		श्रीनगर
14.	झारखंड	रांची
15.		देवघर
16.	कर्नाटक	बेंगलुरु
17.		हुबली
18.		मंगलौर
19.		मणिपाल
20.		मैसूर
21.	केरल	तिरुवनंतपुरम
22.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
23.		भोपाल
24.		इंदौर
25.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
26.		कोल्हापुर
27.		नागपुर
28.		नासिक
29.		मुंबई
30.		पुणे
31.	मणिपुर	इंफाल

क्र.सं.	राज्य	केंद्र का नाम
32.	मेघालय	शिलांग
33.	मिजोरम	आइजोल
34.	नागालैंड	कोहिमा
35.	उड़ीसा	बेरहामपुर
36.		भुवनेश्वर
37.		राउरकेला
38.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
39.	पंजाब	मोहाली
40.	राजस्थान	जयपुर
41.		जोधपुर
42.	सिक्किम	गंगटोक
43.	तमिलनाडु	चेन्नई
44.		कोयंबटूर
45.		मदुरै
46.		तिरुनेलवेली
47.		त्रिची
48.	तेलंगाना	हैदराबाद
49.		वारंगल
50.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
51.		कानपुर
52.		लखनऊ
53.		मेरठ
54.		नोएडा
55.	उत्तराखंड	देहरादून
56.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
57.		हल्दिया
58.		खड़गपुर
59.		कोलकाता
60.		सिलीगुड़ी
61.	त्रिपुरा	अगरतला
62.	गोवा	गोवा

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.19

दिनांक 2 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

आई.सी.डी.पी

19. श्री धनुष एम.कुमार:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड समेकत कॉफी विकास परियोजना क्रियान्वित कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएँ और प्राप्त उपलब्धियां क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में कॉफी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा चालाई जा रही विकास गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) "समेकित कॉफी विकास परियोजना" नामक योजना विशेषकर देश में ऑर्गेनिक कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजना की राज्य-वार स्थिति क्या है;
(ड.) क्या फसल खराब होने के कारण बहुत से कॉफी उत्पादकों का नुकसान हुआ है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत वित्तीय क्षतिपूर्ति की कुल राशि कितनी है; और
(छ) क्या सरकार ने कोविड और लॉकडाउन के कारण कॉफी बागवानी क्षेत्र को हुई क्षति का भी आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन सी सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जी। कॉफी बोर्ड समेकित कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, सम्पदा के मशीनीकरण के लिए

सहायता, कॉफी क्षेत्र विकास, बाजार विकास, मूल्यवर्धन को सहायता आदि जैसे विभिन्न अंत:क्षेप शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018-19 से 2020-21 तक और चालू वर्ष दिसंबर 2021 तक कॉफी बोर्ड ने स्कीम के विभिन्न घटकों के लिए 159.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(घ): सरकार ने देश में जैविक कॉफी उत्पादन के संवर्धन और विकास को उचित प्राथमिकता दी है। कॉफी बोर्ड जनजातीय उत्पादकों के विशेष संदर्भ में सभी कॉफी उत्पादक राज्यों में जैविक कॉफी की खेती के लिए तकनीकी सहायता और दिशानिर्देश प्रदान कर रहा है। "समेकित कॉफी विकास परियोजना" के तहत कॉफी बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए पर्यावरण-प्रमाणित कॉफी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण-प्रमाणन/जैविक प्रमाणन कार्यक्रम लागू किया है। एपीडा के अनुसार जैविक कॉफी का राज्य-वार उत्पादन आंकड़ा निम्नवत है:

इकाई:एमटी

राज्य/क्षेत्र	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
आंध्र प्रदेश	329.653	396.505	425.262
कर्नाटक	2802.382	4456.964	4718.078
केरल	11133.868	14850.223	16148.857
तमिल नाडु	297.633	445.529	1109.342
कुल	14563.536	20149.221	22401.539

स्रोत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(ड.) और (च): कॉफी बागानों को विशेष रूप से कर्नाटक और केरल राज्य में प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और बेमौसम बारिश के कारण नुकसान हुआ है।एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार पात्र उत्पादकों को जिला प्रशासन के कार्यालय से क्षतिपूर्ति दी गई है।

(छ): कॉफी बोर्ड द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, यद्धपि, फसल की कटाई अधिक प्रभावित नहीं हुई थी, कोविड लॉकडाउन के कारण कुछ एस्टेट प्रचालनों में देरी हुई, जिसका प्रभाव कॉफी की फसल पर पड़ा है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, होटल, रेस्तरां, कैफे व्यवसाय के साथ-साथ कार्यालयों, वेंडिंग मशीनों, आयोजनों आदि जो घर-से-बाहर प्रमुख ग्राहक हैं, की मांग प्रभावित हुई। निर्यात के संबंध में, लॉजिस्टिक्स में व्यवधान, शिपमेंट ऑर्डर का स्थगन, कंटेनरों की कमी, उच्च माल-भाड़ा दर आदि हुए, जिसने लॉकडाउन के पहले चरण में कॉफी निर्यात को प्रभावित किया। प्रतिबंधों में ढील के बाद कॉफी व्यापार में

तेजी आई है और अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान कॉफी निर्यात में 2020 की इसी अवधि की तुलना में मूल्य के संदर्भ (यूएसडी) में 45% की वृद्धि हुई है।

कॉफी निर्यात को सुगम बनाने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं:

i . कॉफी बोर्ड ने निर्यात दस्तावेजों जैसे आरसीएमसी, निर्यात परमिट और उद्गम का आईसीओ प्रमाण पत्र को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन जारी करने का कार्यान्वयन किया है। निर्यात परमिट और उद्गम का आईसीओ प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के दिन ही तत्काल जारी किए जाते हैं।

ii. इसके अलावा, कॉफी बोर्ड ने आरसीएमसी प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की आवधिकता को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है और निर्यात परमिट (फॉर्म सी) और उद्गम का आईसीओ प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है।

iii. इसके अतिरिक्त, कॉफी बोर्ड ने त्वरित सीमा शुल्क निकासी के लिए आईसीईजीएटीई ई-संचित पोर्टल पर लाइसेंस / परमिट / प्रमाण पत्र / अन्य प्राधिकरणों (एलपीसीओ) को एकीकृत किया।

iv. कोविड प्रेरित प्रतिबंधों के कारण, प्रमुख बाजारों/संभावित देशों (इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, मिस्र, सिंगापुर आदि) में वर्चुअल क्रेता-विक्रेता संवाद आयोजित किए गए।

v. व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच ऑनलाइन संवाद का आयोजन किया जा रहा है।

****

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 29
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

एपीआई विनिर्माता

29. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्रीमती अपरूपा पोद्दार:
श्री कृष्ण पाल सिंह यादवः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. हिना विजय कुमार गावीत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में सक्रिय फार्मा सामग्री (एपीआई) विनिर्माताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए नीतियों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए आवंटित, स्वीकृत और संवितरित की गई निधियों का विशेष रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एपीआई उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान योजनाओं, नीतियों और आवंटित निधियों ने किस तरह से एपीआई के विनिर्माण को सुदृढ़ बनाया है;

(घ) प्रतिस्पर्धी बाजार पर उत्तरवर्ती शुल्क लगाने वाले तंत्र का ब्यौरा क्या है और इससे एपीआई विनिर्माताओं को कितना अनुमानित लाभ मिलेगा; और

(ङ) एपीआई विनिर्माताओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्धारित किए जा रहे किन्हीं अन्य परिवर्तनों का विशेष रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): भारत मात्रा के मामले में विश्व स्तर पर फार्मास्यूटिकल्स में तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है और दुनिया के लिए कम लागत वाली जेनेरिक और टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सरकार सक्रिय फार्मा सामग्री (एपीआई) निर्माण सहित फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्कीमों के रूप में भी कदम उठा रही है।

भारत में एक्टिव फार्मा इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) विनिर्माताओं को इस स्कीम का सहारा देने का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

<u>अनुबंध</u>

<u>दिनांक 02-02-2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 29 का अनुबंध</u>

(i) भारत में महत्वपूर्ण की–स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआईएस)/ एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20.03.2020 को पहचान किए गए केएसएम, डीआई और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कीम को मंजूरी दी। स्कीम का कार्यकाल कुल वित्तीय परिव्यय रु 6,940 करोड़ के साथ वित्त वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक है ।
- उप-स्कीम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन चार लक्षित खंडों में वर्गीकृत 41 चिन्हित उत्पादों की बिक्री पर प्रदान किया जाता है।

(ii) फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई स्कीम: -

- 24.02.2021 को स्वीकृत इस स्कीम के तहत योग्य दवाओं में अन्य श्रेणियों के फार्मास्युटिकल उत्पादों के बीच सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री शामिल हैं। परिचालन दिशानिर्देश 1.6.2021 को जारी किए गए हैं।
- स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय रु. 15,000 करोड़ और स्कीम का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से 2028-29 तक है।

(iii) बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की स्कीम

- 20 मार्च, 2020 को "बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने" की स्कीम को मंजूरी दी गई। इस स्कीम में विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं (सीआईएफ) के निर्माण के लिए तीन (03) बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। स्कीम के दिशा-निर्देश 27 जुलाई 2020 को अधिसूचित किए गए थे।
- स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय रु. 3000 करोड़ है । स्कीम का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 31

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन

31. **डॉ.जी. रणजीत रेड्डी:**
श्रीमती कविता मलोथू:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्री दयाकर पसुनूरी:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए 260 करोड़ रूपये का प्रस्ताव दिया है;
(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वित्त मंत्री ने इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की नहीं की है;
(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय उक्त नीति को लागू करने की योजना बना रहा है;
(घ) यदि हां, तो क्या आरई स्तर पर धनराशि मिलने की कोई संभावना है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ.) स्कीमों के बीच काफी अतिव्यापन को देखते हुए, वाणिज्य विभाग द्वारा बनाई जा रही अन्य जिला स्तरीय स्कीमों की योजना के साथ 'कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन संबंधी स्कीम' को विलय करने का निर्णय लिया गया है। राज्य और जिला स्तरों पर जिला निर्यात हब पहल के तहत बनाए गए संस्थागत ढांचे का उपयोग कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 35

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चावल का निर्यात

35. श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2018-2021 के दौरान कृषि निर्यात में किसी वृद्धि को नोटिस किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2015- 2021 से भारत द्वारा किए गए बासमती, उसना चावल और गैर-उबले चावल के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जो भारत से बासमती, उसना चावल और गैर उबले चावल के संभावित आयातक है;

(घ) क्या सरकार ने कृषि निर्यात पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार कर लिया है;

(ड.) क्या सरकार के पास विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के प्रति आने वाले वर्षों में उसना चावल और गैर-उबले चावल के निर्यात में कोई लक्ष्य है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ.) भारतीय कृषि निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जी हाँ। भारत का कृषि निर्यात 2018-19 में 39.19 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 41.87 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

(ख) वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान भारत के चावल निर्यात का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) बासमती चावल के सबसे बड़े आयातक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन और संयुक्त अरब अमीरात हैं; जबकि गैर-बासमती चावल के सबसे बड़े आयातक देश बेनिन, नेपाल, बांग्लादेश, सेनेगल और टोगो हैं।

(घ) विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, कृषि निर्यात के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(ड.) और (च) : उपरोक्त (घ) के मद्देनजर नहीं उठता है।

(छ) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। कई राज्यों में राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं, राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एपीडा द्वारा एक किसान कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है। निर्यात-बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए क्लसटर में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन और उनका दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम का भी आयोजन किया गया है।

सरकार ने एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भी शुरू की है - 'निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता' - कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माल ढुलाई के नुकसान को कम करने के लिए माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करना।

वाणिज्य विभाग कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान करता है अर्थात निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत से पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि। इसके अलावा, कृषि उत्पादों के निर्यातकों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और स्पाइसेस बोर्ड की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत भी सहायता उपलब्ध है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.35 के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध

भारत का चावल निर्यात													
मात्रा लाख मीट्रिक टन में; मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य													
		2015-16		**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**	
एचएस कोड	**विवरण**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
10061010	बीज गुणवत्ता का भूसी में चावल	0.14	28.36	0.15	28.65	0.17	25.48	0.18	33.93	0.28	33.35	0.28	43.77
10061090	भूसी में अन्य चावल	0.99	24.66	1.54	37.05	1.76	43.54	2.38	61.51	2.39	59.51	6.01	140.22
10062000	भूसी (भूरा) चावल	0.19	11.04	0.10	5.88	0.08	5.10	0.10	6.50	0.14	4.38	0.46	19.88
10063010	उसना चावल	34.42	1283.37	38.99	1456.52	43.26	1813.03	37.62	1510.95	31.29	1215.15	61.75	2365.19
10063020	बासमती चावल	40.46	3477.98	39.85	3208.60	40.57	4169.56	44.15	4712.44	44.55	4372.00	46.30	4018.41
10063090	उबले हुए पीटीजी चावल को छोड़कर (बासमती चावल को छोड़कर)	17.56	711.63	17.67	736.96	30.92	1370.26	23.98	1055.68	13.76	636.37	42.34	1646.06
10064000	टूटा हुआ चावल	11.34	309.59	9.26	260.14	12.00	379.19	12.22	369.58	2.70	82.48	20.65	595.69
	कुल	**105.10**	**5846.62**	**107.56**	**5733.79**	**128.75**	**7806.15**	**120.63**	**7750.61**	**95.11**	**6403.24**	**177.79**	**8829.21**

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 56

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कॉफी बागानों को नुकसान

56 : श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्नाटक के मलनाड जिलों जैसे कोडागु, चिकमगलूर और विशिष्ट रूप से हसन के सकलेशपुर, अलूर ब्लॉक, जो देश का एक प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, में कटाई के मौसम के दौरान बेमौसम भारी बारिश और कॉफी के पौधों और फलियों के नुकसान की दोहरी मार के कारण कॉफी उत्पादकों के संकट से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो भूस्खलन, भारी वर्षा के कारण फसल क्षेत्र को हुए नुकसान का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि सरकार संकटग्रस्त कॉफी बागान मालिकों को 6000 रूपए प्रति एकड़ का मामूली मुआवजा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्रम, उर्वरक, रसायन आदि की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार की कॉफी बागान मालिकों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने और संकटग्रस्त किसानों के हितों की रक्षा के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की कोई योजना है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में असामयिक वर्षा ने खड़ी कॉफी की फसल को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही अरेबिका फसल की कटाई और प्रसंस्करण में बाधा उत्पन्न की है। नवंबर 2021 के महीने में सूचित अरेबिका की क्षेत्रवार फसल हानि निम्नानुसार है:

जिला	उत्पादकों की संख्या	कॉफी के तहत कुल विस्तार (हे.) में	उत्पादन की हानि (एमटी)
चिकमगलुर	15368	49300	11500
हसन	10554	26027	3995
कोडागु	7456	24103	7645
सकल योग	33,378	99,430	23,140

हसन जिले के तालुकों में फसलों के नुकसान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालुक का नाम	उत्पादकों की संख्या	कॉफी के तहत कुल विस्तार (हे.) में	उत्पादन की हानि (एमटी)
सकलेशपुर	4454	9840	2380
अलूर	1935	5293	1095
बेलूर	3759	10160	320
अरकलगुड	406	734	200
कुल	10554	26027	3995

स्रोत: कॉफी बोर्ड

(ग) 18,000 रूपए/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा दी गई है, जहां फसल की हानि 33% और उससे अधिक है, जो 2 हेक्टेयर प्रति किसान की उच्चतम सीमा के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त, कॉफी बोर्ड ने अपनी स्कीम 'समेकित कॉफी विकास परियोजना' के अंतर्गत द्वारा विगत तीन वर्ष अर्थात 2018-19 से 2020-21 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण,एस्टेट के यंत्रीकरण को सहायता, कॉफी क्षेत्र विकास, बाजार विकास,मूल्यवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास को सहायता आदि जैसे विभिन्न अंत:क्षेप के अंतर्गत 159.86 करोड़ रूपए तक की धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(घ) एवं (ड.) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17.10.2018 को जारी किए गए दिशा-निर्देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋणों के पुनर्गठन का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ब्याज संसहायिकी स्कीम पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है जिसमें कॉफी बागान क्षेत्र के लिए 4% प्रतिवर्ष की प्रभावी दर से 3 लाख तक के अल्पकालिक ऋण शामिल हैं । वर्तमान में, कॉफी बागान सेक्टर हेतु ऋण माफी या विशेष पैकेज के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 65

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पलासा काजू का निर्यात

65. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में काजू निर्यात करने वाले आंध्र प्रदेश के पलासा काजू प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों की दुर्दशा से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पलासा काजू के निर्यात को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वाणिज्य विभाग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पलासा काजू के निर्यात हेतु आन्ध्र प्रदेश के काजू प्रसंस्करणकर्ताओं की दुर्दशा के संबंध में आज तक कोई अभ्यावेदन या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक पुर:सरण प्रक्रिया है। काजू सहित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक की हानि के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम – 'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता' शुरू की है। सरकार ने राज्य/जिला स्तरों पर भी कई कदम उठाए हैं। कई राज्यों में राज्य विशिष्ट कार्रवाई योजनाएं, राज्य स्तरीय मॉनीटरींग समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यातों के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद विशिष्ट कार्रवाई योजनाएं भी तैयार की गई हैं। किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एपीडा द्वारा एक किसान कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है।निर्यात-बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए क्लस्टरों में क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन किया गया है। निर्यात अवसरों का आकलन और लाभ उठाने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम का भी आयोजन किया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य स्कीम के माध्यम से भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत से पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता भी उपलब्ध है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 89

<u>दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

<u>रबर के क्षेत्र में संकट</u>

89. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रबर क्षेत्र में संकट और प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट के कारण छोटे और सीमांत किसानों की दुर्दशा की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार की प्राकृतिक रबर को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) योजना के तहत लाने की कोई योजना है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्राकृतिक रबर को कृषि फसल मानने और इसे एम.एस.पी योजना के तहत लाने के लिए रबर क्षेत्र संबंधी कृतक बल (टास्क फोर्स) की सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): हाल ही में देश में घरेलू प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की कीमतों में वृद्धि हुई है। अप्रैल से दिसंबर, 2021 की अवधि के लिए आरएसएस 4 ग्रेड शीट रबड़ की औसत कीमत वर्ष 2020-21 के दौरान 141.85 रूपए प्रति किलोग्राम के वार्षिक औसत की तुलना में 172.82 रूपए प्रति किलोग्राम थी ।

चूंकि घरेलू प्राकृतिक रबड़ अत्यधिक संवेदनशील है और प्राकृतिक रबड़ के विद्यमान अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समय – समय पर कदम उठा रही है कि घरेलू किसानों को उनके उत्पादों के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिलें।

(ख): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) और (घ): रबड़ सेक्टर पर कार्य बल (टास्क फोर्स) ने प्राकृतिक रबड़ (एनआर) को कृषि उत्पाद के रूप में मानने और इसे न्यूनतम समर्थन स्कीम (एमएसपी) के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की है। भारत सरकार 25 कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। ये मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ को उन चयनित 25 फसलों में शामिल नहीं किया गया है जिसके लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) अधिसूचित किया गया है, चूंकि यह एमएसपी के तहत शामिल करने के लिए अधिकांश मानदंडों को पूरा नहीं करता है और भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक स्कीम के तहत कवर नहीं किया गया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 90

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
"चीन के साथ व्यवसाय"

90. श्री अब्दुल खालेक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में चीन के साथ किए गए व्यवसाय की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2020 की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष मूल्य और मात्रा दोनों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या मूल्य और मात्रा दोनों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2020 और 2021 के दौरान चीन के साथ किए गए पांच प्रमुख आयातों और निर्यातों का ब्यौरा, मूल्य और मात्रा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : कैलेंडर वर्ष 2021 (जनवरी-नवंबर) के दौरान चीन को भारत के निर्यात और से आयात का मूल्य इस प्रकार है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

निर्यात		**आयात**	
जनवरी-नवंबर 2020	**जनवरी - नवंबर 2021**	**जनवरी-नवंबर 2020**	**जनवरी - नवंबर 2021**
17.33	21.54	52.16	78.88

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

माप की विभिन्न इकाइयों (टन, किग्रा, संख्या, आदि) के कारण सभी व्यापार की मात्रा के आंकड़ों को समेकित करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग): जैसा कि ऊपर तालिका से देखा गया है, चीन को निर्यात जनवरी-नवंबर 2020 में 17.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जनवरी-नवंबर 2021 में 21.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 24% की वृद्धि दर्शाता है। जनवरी-नवंबर 2020 में आयात 52.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जनवरी-नवंबर 2021 में 78.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तथापि, आयात 2019-20 और 2020-21 के बीच स्थिर था।

चीन से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं दूरसंचार उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरीफरल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक घटक/उपकरण, परियोजना के सामान, कार्बनिक रसायन, दवा मध्यवर्ती, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मशीनरी, आदि जैसे उत्पाद हैं। चीन से हमारे कुछ आयात जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और दवा सूत्रीकरण भारतीय फार्मा उद्योग को तैयार माल के उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं जो भारत से बाहर भी निर्यात किए जाते हैं।

(घ) वर्ष 2020 (जनवरी-नवंबर) और 2021 (जनवरी-नवंबर) के दौरान चीन से पांच प्रमुख आयात और को निर्यात के मूल्य और मात्रा का विवरण **अनुबंध- I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध- ।

2020 (जनवरी-नवंबर) और 2021 (जनवरी-नवंबर) के दौरान चीन को प्रमुख वस्तु समूहों में शीर्ष 5 निर्यात

क्रमांक	प्रमुख वस्तु समूह	इकाई	2020 (जनवरी-नवंबर)		2021 (जनवरी-नवंबर)	
			मात्रा	मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य	मात्रा	मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य
1	लौह अयस्क	टन	43485405	3047.15	30475178	3381.73
2	पेट्रोलियम उत्पाद	टन	3388659	1112.55	2699521	1528.91
3	कार्बनिक रसायन	किग्रा	2280484123	1490.53	1414135289	1494.47
4	लोहा और इस्पात	टन	5857725	2325.35	2050278	1409.96
5	एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	टन	161038	263.09	463091	1189.05
कुल				**8238.68**		**9004.13**

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

2020 (जनवरी-नवंबर) और 2021 (जनवरी-नवंबर) के दौरान चीन से प्रमुख वस्तु समूहों में शीर्ष 5 आयात

क्रमांक	प्रमुख वस्तु समूह	इकाई	2020 (जनवरी-नवंबर)		2021 (जनवरी-नवंबर)	
			मात्रा	मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य	मात्रा	मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य
1	इलेक्ट्रॉनिक्स घटक			4536.90		8863.18
2	कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरीफरल			4042.55		6760.39
3	दूरसंचार उपकरण			5352.44		6158.38
4	कार्बनिक रसायन	किग्रा	984610003	2701.58	2339534309	4763.08
5	डेयरी आदि के लिए इंडल. मशीनरी			3086.74		4462.85
कुल				**19720.22**		**31007.88**

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 98

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रमुख अनाजों का निर्यात

98. श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या विगत तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल जैसे प्रमुख अनाजों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)क्या यह भी सच है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से की जा रही खरीद में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों की राज्य और उपज-वार खरीद, कितनी है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हां। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में समग्र रूप से गेहूं और चावल जैसे अनाज के निर्यात में वृद्धि हुई है। विवरण निम्न प्रकार हैं:

मात्रा मीट्रिक टन में; मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य

	2018-19		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (अप्रैल-नवंबर)**	
वस्तु	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
चावल-बासमती	4414612	4712.44	4454771	4372.00	4630209	4018.41	2402034	2066.22
चावल (बासमती के अलावा)	7647998	3038.16	5056278	2031.25	13149206	4810.80	10882704	3903.03
गेहूं	226628	60.24	219690	62.82	2154973	567.93	4114773	1151.07
अन्य अनाज	1257244	348.97	501118	205.19	3075661	705.38	2246006	603.95

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

(ग) और (घ): जी हां। पिछले तीन वर्षों में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं और चावल की खरीद में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए राज्य-वार विवरण अनुबंध में है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 98 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध

चावल के मामले में धान की राज्यवार खरीद				
				(लाख टन में)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केएमएस* 201819	केएमएस 201920	केएमएस 2020-21	केएमएस 2021-22 (27.01.2022/26.01.2022 तक जारी)
आंध्र प्रदेश	48.06	55.32	56.66	15.89
तेलंगाना	51.90	74.54	94.53	46.29
असम	1.01	2.11	1.42	0.02
बिहार	9.49	13.41	23.84	16.03
चंडीगढ़	0.13	0.15	0.19	0.18
छत्तीसगढ़	39.71	50.53	47.74	58.15
दिल्ली		0.00	0.00	
गुजरात	0.09	0.14	0.74	0.82
हरियाणा	39.42	43.07	37.89	37.05
हिमाचल प्रदेश		0.00	0.00	0.19
झारखंड	1.53	2.55	4.28	0.93
जम्मू और कश्मीर	0.09	0.10	0.26	0.27
कर्नाटक	0.59	0.41	1.38	
केरल	4.65	4.82	5.20	1.36
मध्य प्रदेश	13.95	17.40	24.97	30.45
महाराष्ट्र	5.80	11.67	12.72	6.33
ओडिशा	44.48	47.98	52.58	21.32
पुदुचेरी		0.00	0.00	
पंजाब	113.34	108.76	135.89	125.19
राजस्थान				0.05
एनईएफ (त्रिपुरा)	0.07	0.14	0.16	0.13
तमिलनाडु	12.94	22.04	30.53	5.21
उत्तर प्रदेश	32.33	37.90	44.78	38.88
उत्तराखंड	4.62	6.82	7.18	7.75
पश्चिम बंगाल	19.79	18.38	18.90	3.72
अखिल भारतीय कुल:	**443.99**	**518.27**	**601.85**	**416.20**
स्रोत, खरीद: एफसीआई डेली बुलेटिन				
*खरीफ मार्केटिंग सीजन				

गेहूं की राज्य-वार खरीद				
				(लाख टन में)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरएमएस* 2018-19	आरएमएस 2019-20	आरएमएस 2020-21	आरएमएस 2021-22
पंजाब	126.92	129.12	127.14	132.22
हरियाणा	87.84	93.20	74.00	84.93
उत्तर प्रदेश	52.94	37.00	35.77	56.41
उत्तराखंड	1.10	0.42	0.39	1.44

मध्य प्रदेश	73.13	67.25	129.42	128.16
गुजरात	0.37	0.05	0.77	1.70
राजस्थान	15.32	14.11	22.25	23.40
बिहार	0.18	0.03	0.05	4.56
झारखंड				
कर्नाटक				
दिल्ली			0.00	0.06
जम्मू और कश्मीर			0.00	0.24
महाराष्ट्र			0.00	0.01
ओडिशा				
हिमाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.03	0.13
चंडीगढ़	0.14	0.12	0.11	0.17
पश्चिम बंगाल				
छत्तीसगढ़				
आंध्र प्रदेश				
असम				
तेलंगाना				
कुल	**357.95**	**341.33**	**389.93**	**433.44**
स्रोत, खरीद: एफसीआई डेली बुलेटिन				
*रबी मार्केटिंग सीजन				

******

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 144

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जैविक खाद्यान्नों का निर्यात

144. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश तथा विदेश में जैविक कृषि के माध्यम से उत्पादित खाद्यान्नों के विपणन हेतु कोई विशेष उपाय किए हैं तथा देश के निर्यात में इन उत्पादों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बुंदेलखंड तथा उत्तराखंड सहित देश में जैविक कृषि के जरिए उत्पादित उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने तथा उनके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जी हाँ। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ) देश में जैविक खेती के लिए नोडल संगठन है। एनसीओएफ जैविक उत्पादों के उत्पादन, प्रमाणन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना (एनपीओएफ) का कार्यान्वयन करता है। वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का उद्देश्य निर्यात के लिए जैविक उत्पादन को विनियमित और बढ़ावा देना है।

जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) को एनपीओपी के कार्यान्वयन और जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिदेश दिया गया है। एपीडा अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के विभिन्न घटकों के तहत जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां

भी चलाता है अर्थात एनपीओपी के तहत नए उत्पादों को शामिल करना, आयात करने वाले देशों द्वारा एनपीओपी मानकों को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से 'इंडिया ऑर्गेनिक' ब्रांड को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन करना, क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रम आदि का आयोजन करना। .

वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के जैविक उत्पादों का निर्यात 1.04 बिलियन अमरीकी डालर था। देश से मुख्य रूप से अनाज और बाजरा श्रेणी के तहत जैविक खाद्यान्नों का निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत भारत से 76 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 'अनाज और बाजरा' श्रेणी के तहत 59908 मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया है।

भारत सरकार क्रमशः घरेलू और निर्यात बाजार की जरूरतों के लिए 2015-16 से समर्पित योजनाओं जैसे परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से बुंदेलखंड और उत्तराखंड सहित देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। विपणन और ब्रांडिंग जैविक कृषि योजनाओं का अभिन्न अंग रहा है। विपणन, ब्रांडिंग और व्यापार के लिए पीकेवीवाई के तहत 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर और एमओवीसीडीएनईआर के तहत 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड राज्य के लिए पीकेवीवाई के तहत ब्रांड 'ऑर्गेनिक उत्तराखंड' विकसित किया गया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 146

दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाटन रोधी शुल्क

146. डॉ.टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय देशों से दालों, खाद्यान्न, रसायनों और अन्य वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है और आयात शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और आयात की प्रतिबंधित मदों तथा अविनियमित मदों की सूची क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि डीजीएफटी ने एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद विभिन्न बंदरगाहों पर जब्त की गई दालों, दलहन और मटर के पुनर्विक्रय की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीजीएफटी के निर्णय के बाद दालें, दलहन और मटर की कुल कितनी मात्रा जारी की गई;

(ड.) क्या विभिन्न बंदरगाहों में 20 महीने से अधिक समय बाद जारी किए जाने के बाद दालें, दलहन और मटर अच्छी स्थिति में थे और उपभोग के लिए सही और उपयुक्त थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): जी हां। केंद्र सरकार (वित्त मंत्रालय) ने व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), वाणिज्य विभाग की सिफारिश पर रसायनों / पेट्रोकेमिकल्स और अन्य वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है, जिसकी सूची अनुबंध -I पर है। तथापि, दालों और खाद्यान्नों के आयात पर कोई मौजूदा पाटन रोधी शुल्क नहीं है।

(ग): जी नहीं।

(घ) से (च): ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।

अनुबंध-।

रसायन/पेट्रोकेमिकल और अन्य वस्तुओं के आयात पर लागू पाटन रोधी शुल्क

क्र.सं.	उत्पाद/	क्षेत्र	शामिल देश (देशों)
1	मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात की वायर रॉड	स्टील या अन्य धातु उत्पाद	चीन पीआर
2	3% से कम जल अवशोषण के साथ घुटा हुआ / बिना चमकता हुआ चीनी मिट्टी के बरतन / विट्रिफाइड टाइलें पॉलिश या बिना पॉलिश की हुई	अन्य उत्पाद	चीन पीआर
3	अनकोटेड कॉपियर पेपर	अन्य उत्पाद	इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर
4	लचीला स्लैबस्टॉक पॉलीओल	अन्य उत्पाद	थाईलैंड
5	रैखिक अल्काइल बेंजीन	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	ईरान, कतर, चीन पीआर
6	इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न	फाइबर और यार्न	चीन पीआर, कोरिया आरपी, चीनी ताइपे, वियतनाम
7	एल्यूमिनियम रेडिएटर	मशीनरी मदें	चीन पीआर
8	क्लीयर फ्लोट ग्लास	कांच और कांच के बने सामान	ईरान
9	क्लीयर फ्लोट ग्लास	कांच और कांच के बने सामान	पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई
10	क्लीयर फ्लोट ग्लास	कांच और कांच के बने सामान	मलेशिया
11	एल्यूमीनियम फॉइल	अन्य उत्पाद	चीन पीआर
12	एमोक्सिसिलिन	औषधी	चीन पीआर
13	जूट उत्पाद	फाइबर और यार्न	बांग्लादेश, नेपाल
14	टोल्यूनि डी आइसोसाइनाइड्स (टीडीआई)	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर, जापान, कोरिया आरपी
15	चाकू, शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर	कांच और कांच के बने सामान	चीन पीआर
16	हाइड्रोजन पेरोक्साइड	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	बांग्लादेश, चीनी ताइपे, कोरिया आरपी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड
17	सिलाई मशीन सुई	मशीनरी मदें	चीन पीआर
18	पेंटाएरिथ्रिटोल-॥	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर, ईयू (स्वीडन)
19	पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन-।। (पीटीएफई)	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
20	स्टीयरिंग नक्कल्स	मशीनरी मदें	चीन पीआर
21	आपल ग्लासवेयर	कांच और कांच के बने सामान	चीन पीआर, संयुक्त अरब अमीरात
22	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास चाहे कोटेड हो या अनकोटेड	कांच और कांच के बने सामान	चीन पीआर
23	सोडियम नाइट्राइट-।	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
24	पवन संचालित विद्युत जनरेटर के लिए कास्टिंग	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स मदें और सहायक सामग्री	चीन पीआर
25	स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर	रबर या प्लास्टिक उत्पाद	कोरिया आरपी, यूरोपीय संघ और थाईलैंड
26	अमोनियम नाइट्रेट	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और ईरान
27	वायुचालित रेडियल टायर	रबर या प्लास्टिक उत्पाद	चीन पीआर
28	पैरानिट्रोएनिलिन	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
29	सोडियम क्लोरेट	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	कनाडा, चीन पीआर, यूरोपीय संघ
30	कुछ रबड़ रसायन-।	रबर या प्लास्टिक उत्पाद	चीन पीआर, ईयू

31	पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) (निलंबन ग्रेड)	अन्य उत्पाद	चीन पीआर, और यूएसए
32	सल्फोनेटेड नेप्थेलीन	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
33	डाइमिथाइलसेटामाइड	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर, तुर्की
34	एमआईपीए	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
35	इंजीनियर्ड वुड फलोरिंग	अन्य उत्पाद	चीन पीआर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईयू
36	फास्फोरस पेंटाऑक्साइड	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
37	मछली पकड़ने का जाल	अन्य उत्पाद	चीन पीआर, बांग्लादेश,
38	कांच के बने सामान	कांच और कांच के बने सामान	चीन पीआर, इंडोनेशिया,
39	सिरेमिक रोलर्स	कांच और कांच के बने सामान	चीन पीआर
40	संतृप्त वसायुक्त अल्कोहल	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड,
41	उच्च तप पॉलिएस्टर यार्न	फाइबर और यार्न	चीन पी
42	ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स	स्टील या अन्य धातु उत्पाद	थाईलैंड, चीन पीआर
43	स्टील व्हील्स	स्टील या अन्य धातु उत्पाद	चीन पीआर
44	नायलॉन फिलामेंट यार्न	फाइबर और यार्न	यूरोपीय संघ, और वियतनाम
45	70 ली काउंट . से नीचे के फ्लैक्स यार्न	फाइबर और यार्न	चीन पीआर
46	जिओलाइट-4ए	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
47	मिथाइलीन क्लोराइड	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	ईयू, यूएसए और कोरिया आरपी
48	मेटा फेनिलीन डायमाइन (एमपीडीए)	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
49	नाइट्रोसेल्यूलोज आइसोप्रीप्ल अल्कोहल (आईपीए आधारित एनसी) में डूबा हुआ	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड
50	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास	कांच और कांच के बने सामान	मलेशिया
51	ईवा शीट्स	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर, मलेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड
52	एल्युमिनियम रोड व्हील्स	स्टील या अन्य धातु उत्पाद	चीन पीआर, कोरिया आरपी, थाईलैंड
53	एसीटोन	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	यूरोपीय संघ, चीनी ताइपे, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएस
54	सैकरीन	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	इंडोनेशिया
55	क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन (सीपीवीसी) - आगे कंपाउंड में संसाधित किया गया है या नहीं	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर, और कोरिया आरपी
56	विद्युत इन्सुलेटर	विद्युतिय और इलेक्ट्रॉनिक्स मदें और सहायक सामग्री	चीन पीआर
57	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	मशीनरी मदें	चीन पीआर, जापान, कोरिया आरपी, चीनी ताइपे, वियतनाम,
58	80:20 . के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टोल्यूनि डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई)	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएई
59	शीट ग्लास	कांच और कांच के बने सामान	चीन पीआर
60	सोडियम सिट्रट	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
61	इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर-।	विद्युतीय और इलेक्ट्रॉनिक्स मदें और सहायक सामग्री	चीन पीआर
62	इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर-।	विद्युतीय और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और सहायक सामग्री	मलेशिया

63	'एल-फेनिल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
64	लचीला स्लैबस्टॉक पॉलीओल	अन्य उत्पाद	ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, सिंगापुर
65	मापन टेप-I	अन्य उत्पाद	चीन पीआर
66	मापन टेप-I	अन्य उत्पाद	सिंगापुर, कंबोडिया
67	कोलतार	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
68	काला टोनर	फोटोग्राफिक या सिनेमैटोग्राफिक सामान	चीन पीआर, मलेशिया और चीनी ताइपे
69	फॉस्फोरिक एसिड	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	कोरिया आरपी
70	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
71	फ्लेक्स फ्रेब्रिक्स	अन्य उत्पाद	चीन पीआर, हांगकांग
72	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम)	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
73	रोल्स में फेसड ग्लासवूल	कांच और कांच के बने सामान	चीन पीआर
74	2-एथिल हेक्सानॉल	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	ईयू, इंडोनेशिया, कोरिया आरपी, मलेशिया, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएसए
75	पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) राल	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
76	आणविक भार का लचीला स्लैबस्टॉक पॉलीओल 3000- 4000	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	सऊदी अरब और यूएई
77	एन-ब्यूटानॉल	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	ईयू, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए
78	मिथाइल एसीटोएसेटेट	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर, यूएसए
79	फ्थेलिक एनहाइड्राइड	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर, इंडोनेशिया, कोरिया आरपी, थाईलैंड
80	कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक अभ्रक आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर,
81	एल्युमिनियम फॉयल 80 माइक्रोन और उससे कम	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन पीआर
82	सुगंधित या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के एसीटो एसिटाइल डेरिवेटिव्स को आर्यलाइड्स के रूप में भी जाना जाता है	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
83	सीवनरहित ट्यूब और पाइप	स्टील या अन्य धातु उत्पाद	चीन पीआर
84	अनुपचारित फ्यूमड सिलिका	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
85	एल्यूमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पाद	स्टील या अन्य धातु उत्पाद	चीन पीआर
86	कैलक्लाइंड जिप्सम पाउडर	अन्य उत्पाद	ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई
87	सोडियम हाइड्रोसल्फाइट	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर, और कोरिया आरपी
88	एचएफसी घटक	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
89	सिलिकॉन सीलेंट	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
90	एचएफसी ब्लेंड्स	रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद	चीन पीआर
91	डेकोर पेपर	अन्य उत्पाद	चीन पीआर
92	ट्रेलरों के लिए ऐक्सल	अन्य उत्पाद	चीन पीआर

***

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 161

<u>दिनांक 02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

<u>'2 बनाम 2' कृषि बाजार पहुंच</u>

161. डॉ. टी. आर. परिवेन्धर:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नवंबर 2021 में आयोजित 12वीं भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम बैठक के अनुसरण में "2 बनाम 2" कृषि बाजार पहुंच के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को चेरी, अल्फाल्फा हे, सुअर का मांस और सुअर के मांस उत्पादों की आपूर्ति के बदले भारत से आम और अनार के आयात को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त व्यापार समझौतों को लागू करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाले लाभों और इस पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त व्यापार समझौतों के लिए निर्यात और आयात संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ख) और (ग) : नवंबर, 2021 में आयोजित 12वीं भारत – अमेरिकी व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) की बैठक के दौरान, दोनों देश भारत से आम, अनार और अनार के दाने और संयुक्त राज्य अमेरिका से चेरी और अल्फाल्फा के लिए बाजार पहुंच सुविधा पर काम को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए। इसके अतिरिक्त अमेरिका भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में टेबल अंगूर के लिए बाजार पहुंच को पूरा करने के काम के लिए सहमत हुआ, और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से पोर्क और पोर्क उत्पादों के आयात की अनुमति देने के लिए निर्यात प्रमाण पत्र को अंतिम रूप देने के काम पर सहमत हुआ ।

उपरोक्त के अनुसरण में, कृषि और किसान कल्याण विभाग और अमेरिकी कृषि विभाग ने बाजार पहुंच मुद्दों को लागू करने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात भारतीय आम और अनार और भारत से अनार के दानों के लिए बाजार पहुंच, और संयुक्त राज्य अमेरिका से चेरी और अल्फाल्फा हे के लिए बाजार पहुंच के लिए निरीक्षण/निगरानी हस्तांतरण। इसके अलावा, जैसा कि टीपीएफ बैठक में सहमति हुई, दोनों पक्ष यूएसए से पोर्क और पोर्क उत्पादों के निर्यात के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इसी तरह, अमेरिका भी भारत से टेबल अंगूर के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने पर भी काम कर रहा है ।

इन उपायों से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.191**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 2 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबड़ अधिनियम में संशोधन

191.श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबड़ अधिनियम 1947 में संशोधन करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ग) क्या प्रस्तावित संशोधन से रबड़ बोर्ड की शक्ति कम होगी और विशेषकर प्राकृतिक रबड़ और रबड़ की अन्य वस्तुओं के आयात और निर्यात के संबंध में सरकार को सीधे अधिक अधिकार मिलेंगे ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ.) क्या सरकार प्राकृतिक रबड़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लाने की योजना बना रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राकृतिक रबड़ की एमएसपी की गणना के मानदंड क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : देश में रबड़ और संबद्ध क्षेत्र के विकास के संदर्भ में समग्र बाजार परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसलिए, कुछ पुरातन प्रावधानों को हटाने, व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और विश्व स्तरीय रबड़ उद्योग बनाने के लिए, सरकार मौजूदा रबड़ अधिनियम 1947 को निरस्त करने और एक नया कानून बनाने के लिए उपयुक्त समझती है। इस संबंध में, व्यापक परामर्श और जनता/हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए एक मसौदा विधेयक 'रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक 2022' को इस विभाग और रबड़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।
(ग) और (घ) : जी नहीं। 'रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक' में बदले हुए बाजार परिदृश्य में प्रावधानों को पुन:संरेखित करने और क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के संबंध में समर्थकारी प्रावधान हैं।
(ङ.) और (च): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

****